भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

रिपोर्ट 18–07–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

2014 की प्रतिवेदन सं. 8

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
(अनुपालन लेखापरीक्षा)
2014 की प्रतिवेदन सं. 8

लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर .... को रखी गई

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii
अध्याय ।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	1
अध्याय ॥	नियमों एवं विनियमों का अननुपालन	33
अध्याय ॥।	आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता	39
परिशिष्ट ।	राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट	49
परिशिष्ट ॥	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट	50
परिशिष्ट ॥।	निर्धारिती केन्द्रित मामलें जहां विभाग द्वारा कार्यवाही आंरभ/पूरी की जा चुकी है	51
परिशिष्ट ।V	विभाग केन्द्रित मामलें जहां विभाग द्वारा कार्यवाही आंरभ/पूरी की जा चुकी है	55
शब्दावली		56

प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख का किया गया है जो कि 2012-13 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए और साथ ही वह मामले जो पूर्व के वर्षों में देखे गए थे लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार प्रतिपादित की गई है।

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित 62 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल हैं जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 182.90 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने मार्च 2014 तक ₹ 179.44 करोड़ के राजस्व की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली थीं और ₹ 21.29 करोड़ की वसूली सूचित की थी। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

अध्याय I: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर राजस्व

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व ने वि.व. 10 को छोड़कर वि.व. 09 से वि.व. 13 के दौरान वृद्धि दर्शायी है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में पिछले वर्ष से 21.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 1.7)

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व वित्तीय वर्ष 13 में जारी रहा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए(1) के अन्तर्गत छूटें ₹ 2,06,188 करोड़ (सामान्य छूटों के रूप में ₹ 1,87,688 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 18,500 करोड़) अर्थात केन्दीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 117 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 1.16)

- 31 मार्च 2013 तक ₹ 17,020.54 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले लम्बित थे। यह लम्बन हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। ₹ 1,353.85 करोड़ के 326 मामले दो वर्षों से अधिक से लम्बित थे।

(पैराग्राफ 1.26)

- वसूली हेतु लम्बित बकाया वित्तीय वर्ष 13 में ₹ 47,621 करोड़ पहुँच गया जबकि वर्ष के दौरान केवल ₹ 1,884 करोड़ का संग्रहण हुआ था। बकाया का लम्बन प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है और वसूलियां लम्बित बकाये की केवल 5 प्रतिशत थीं।

(पैराग्राफ 1.35)

अध्याय II: नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

- हमने सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ लेने और उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न लगाने/कम भुगतान के मामले पाए जिसमें ₹ 66.76 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 2.1)

अध्याय III: आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- हमने अन्य बातों के साथ साथ संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों के मामले पाए। उनमें सम्मिलित शुल्क/कर ₹ 116.03 करोड़ था।

(पैराग्राफ 3.2)

अध्याय I

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

संघ सरकार के स्रोत

1.1 भारत सरकार के स्त्रोतों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है जो (वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 53,67,988.99 करोड़[1] था। इनमें से, ₹ 10,36,460.45 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित उसकी अपनी प्राप्तियां ₹ 13,99,951.05 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

₹ करोड़

क. कुल राजस्व प्राप्तियां	13,47,437.62
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	5,58,989.47
ii. अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	4,74,728.28
iii. केन्द्र शासित प्रदेशों से अन्य कर प्राप्तियाँ	2,742.70
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियां	3,10,977.17
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	25,889.80
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	26,623.63
ड़. लोक ऋण प्राप्तियां	39,68,037.94
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**53,67,988.99**

टिप्पणी : कर प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से सौंपें गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से कुल राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 2,91,546.61 करोड़ शामिल है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत बनाई गई भारत की संचित निधि में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार को प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व आता है। भारत के संघ की राजस्व प्राप्तियाँ कर और गैर कर स्रोतों दोनो से उत्पन्न होती है। कर राजस्व में संघ सरकार द्वारा मुख्य रूप से लगाए गए करों/शुल्कों से प्राप्त आय अर्थात् आय कर (कृषि आय के अलावा) और धन पर कर, निगम कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाओं पर कर इत्यादि है; जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के तहत प्रविष्टियों द्वारा कवर होती हैं।

[1] स्रोत: वि.व 2012-13 के संघ वित्त लेखे

करों को व्यापक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य रूप से, जिन व्यक्तियों पर कर लगाया/आरोपित किया जाता है उनके द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से किए गए भुगतान को प्रत्यक्ष कर के रूप में संदर्भित किया जाता है। इनमें आयकर, निगम कर, धन कर इत्यादि[2] शामिल हैं। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर वह होते हैं जिसमें एक सत्व पर कर लगाया जाता है जबकि उसका भार दूसरे सत्व पर पडता है।

अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

1.2 अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबद्ध है और इस अर्थ में वह व्यक्ति विशिष्ट की बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क नीचे सूचीबद्ध है:

क) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** यह शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोडकर किन्तु शराब और अफीम इत्यादि (संविधान की सातंवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84) वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्तियां हैं।

ख) **सीमा शुल्क:** भारत में आयातित माल और भारत से निर्यात होने वाले कुछ माल (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) पर यह शुल्क लगाया जाता है।

ग) **सेवाओं पर कर:** कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है। (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)[3]

संगठनात्मक ढांचा

1.3 वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग (डीओआर) केन्द्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1963 के अधीन गठित एक सांविधिक बोर्ड नामत: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों से

---

[2] 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण, पृष्ठ 61, तालिका 3.4 के नीचे टिप्पणी से पता चलता है कि व्यक्तिगत आय कर और निगम कर के अलावा, प्रत्यक्ष करों में व्यय, ब्याज, धन, उपहार और संपदा शुल्क से संबंधित कर शामिल है।

[3] संविधान (अट्ठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003, जिसे 15 जनवरी 2004 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में 'सेवाओं पर कर' के अनुच्छेद 268 ए, अनुच्छेद 270 के संशोधन और प्रविष्टि 92 सी का समावेशन प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तथापि, अधिनियम अभी लागू किया जाना है।

संबंधित मामलों में नियंत्रण रखती है। सीबीईसी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर सहित अप्रत्यक्ष कर लगाने और उनका संग्रहण करता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर विभाग की समग्र कर्मचारी संख्या **73,814**[4] है। **परिशिष्ट 1 और 2** क्रमश: राजस्व विभाग और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा दर्शाता है।

1.4 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून सीबीईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरियों के माध्यम से प्रशासित होता है। इस उद्देश्य के लिए, देश को 23 ज़ोनो में विभाजित किया गया है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का एक मुख्य आयुक्त प्रत्येक जोन का प्रमुख होता है। इन ज़ोनो में 93 कमिश्नरियां और 4 बड़ी करदाता इकाईयां (एलटीयू) कमिश्नरियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त की अध्यक्षता में हैं। डिविजन और रेंज उत्तरवर्ती संरचनाएं है जिनकी अध्यक्षता क्रमश: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक करते हैं।

1.5 इस प्रतिवेदन में 62 लेखापरीक्षा आपत्तियां है जिनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹ 182.90 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने मार्च 2014 तक ₹ 179.44 करोड़ के राजस्व वाली 58 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की और ₹ 21.29 करोड़ की वसूली की सूचना दी। प्रतिवेदन में 8 आपत्तियां शामिल हैं जो विभागीय चूकों पर प्रकाश डालती हैं।

अप्रत्यक्ष कर राजस्व की वृद्धि

1.6 चार्ट 1.1 और तालिका 1.2 वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के लिए जीडीपी[5] की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण दर्शाती हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जीडीपी में अप्रत्यक्ष करों का अंश लगभग 5

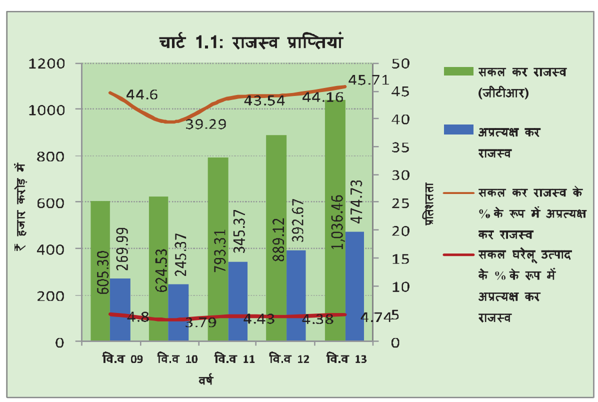

चार्ट 1.1: राजस्व प्राप्तियां

4 मंत्रालय द्वारा 18 फरवरी 2014 तक दिए गए आँकड़े।

5 जीडीपी - प्रेस सूचना ब्यूरो, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी मंत्रालय का प्रेस सार। दिनांक 7 फरवरी 2014 का प्रेस सार दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 के लिए वर्तमान मूल्य/बाजार मूल्य पर जीडीपी आँकड़े द्वितीय संशोधित आकलन तथा वर्ष 2012-13 के लिए प्रथम संशोधित आकलन है। आँकड़े आधार वर्ष 2004-05 के वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित है। सीएसओ द्वारा आँकड़े निरन्तर संशोधित हो रहे है तथा आँकड़े वृहत आर्थिक निष्पादन के साथ वित्तीय निष्पादन की तुलना को दर्शाने के लिए निमित्त किये गये है।

प्रतिशत था। इसी अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का अंश लगभग 45 प्रतिशत था। जीडीपी वि.व. 09 में ₹ 56.30 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 13 में ₹ 101.13 लाख करोड़ हो गया जबकि अप्रत्यक्ष कर वि.व. 09 में ₹ 2.70 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 13 में ₹ 4.75 लाख करोड़ हो गया।

तालिका 1.2: राजस्व प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	सकल कर राजस्व (जीटीआर)	अप्रत्यक्ष कर राजस्व#	जीडीपी	जीटीआर के % कें रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व
वि.व.09	6,05,298	2,69,988	56,30,063	44.60	4.80
वि.व.10	6,24,527	2,45,373	64,77,827	39.29	3.79
वि.व.11	7,93,307	3,45,371	77,95,314	43.54	4.43
वि.व.12	8,89,118	3,92,674	90,09,722	44.16	4.36
वि.व.13	10,36,460	4,74,728	1,01,13,281	45.80	4.69

टिप्पणी: कर प्राप्तियों के आँकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों के अनुसार हैं, 2012-13 के आँकड़े अनंतिम हैं।

मुख्य अप्रत्यक्ष कर घटक अर्थात सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर सम्मिलित है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वृद्धि - प्रवृत्ति और संरचना

1.7 चार्ट 1.2 और तालिका 1.3 वि.व. 09 से वि.व. 13 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहणों में वृद्धि दर्शाता है। वि.व. 10 को छोडकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। वि.व. 13 के दौरान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 21.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2012-13 के बजट में राजस्व में 2011-12 से 29.1 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण[6] ने स्पष्ट किया कि वृद्धि तथ्यों जैसे प्रभावी दर में वृद्धि, रियायती दरें और गैर पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की कम

चार्ट 1.2: के. उ.शु.. संग्रहण

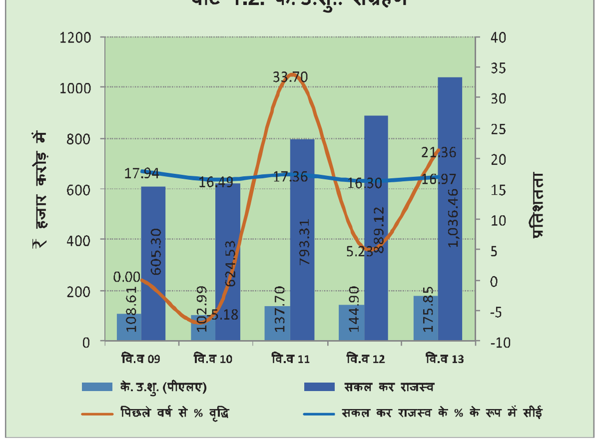

[6] 2012-13 का आर्थिक सर्वेक्षण, पृष्ठ 63

दर, और आटोमोबाइल की कुछ श्रेणियों, कुछ विशिष्ट 'सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के उत्पाद शुल्क की दर में वृद्धि के कारण मानी गई थी। श्रेष्ठ 20 वस्तुओं से राजस्व संग्रहण का विश्लेषण भी दर्शाता है कि वि.व. 13 के दौरान 'अन्य तम्बाकू उत्पादों' और 'भट्टी तेल' को छोडकर सभी वस्तुओं से राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई थी। सकल कर राजस्व में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अंश 16 से 18 प्रतिशत के बीच था जबकि जीडीपी में यह 1.6 से 1.9 प्रतिशत के बीच था।

तालिका 1.3: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहणों की वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सीई (पीएलए)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	जीडीपी	जीडीपी के % रूप में सीई	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में सीई
वि.व.09	1,08,613	-	56,30,063	1.93	6,05,298	17.94
वि.व.10	1,02,991	(-)5.18	64,77,827	1.59	6,24,527	16.49
वि.व.11	1,37,701	33.70	77,95,313	1.77	7,93,307	17.36
वि.व.12	1,44,901	5.23	90,09,722	1.61	8,89,118	16.30
वि.व.13	1,75,845	21.36	1,01,13,281	1.74	10,36,460	16.97

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे; वि.व. 13 के आँकड़े अनंतिम है।

अप्रत्यक्ष कर घटक - तुलनात्मक प्रदर्शन

1.8 तालिका 1.4 वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 की अवधि के लिए जीडीपी की तुलना में विभिन्न अप्रत्यक्ष घटकों के राजस्व और प्रक्षेप वृद्धि पथ का तुलनात्मक प्रदर्शन दर्शाती है। पांच वर्षों के दौरान सभी घटकों ने भिन्न वृद्धि दर्शायी।

तालिका 1.4: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

₹ करोड़

वर्ष	जीडीपी	सीमा शुल्क राजस्व	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व
वि.व. 09	56,30,063	99,879	1,08,613	60,941	1.77	1.93	1.08
वि.व. 10	64,77,827	83,324	1,02,991	58,422	1.29	1.59	0.90
वि.व. 11	77,95,314	1,35,813	1,37,701	71,016	1.74	1.77	0.91
वि.व. 12	90,09,722	1,49,328	1,44,901	97,509	1.66	1.61	1.08
वि.व. 13	1,01,13,281	1,65,346	1,75,845	1,32,601	1.64	1.74	1.31

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे; वि.व. 13 के लिए आँकड़े अनंतिम हैं।

शीर्ष राजस्व प्रदान करने वाली वस्तुएं

1.9 चार्ट 1.3 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (वि.व. 13) में वस्तुओं के समूह का अंश दर्शाता है। आठ उच्चतम राजस्व अर्जक पेट्रोलियम (40 प्रतिशत), तम्बाकू उत्पाद (12 प्रतिशत), लौह एवं इस्पात (11 प्रतिशत), सीमेंट (7 प्रतिशत), मोटर वाहन (7 प्रतिशत), रसायन उत्पाद (3 प्रतिशत), मशीनरी (3 प्रतिशत) और प्लास्टिक उत्पाद (3 प्रतिशत) थे और इन्होंने मिलकर वि.व. 13 में कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में 86 प्रतिशत का योगदान दिया।

चार्ट 1.3: मुख्य वस्तुओं का राजस्व अंश

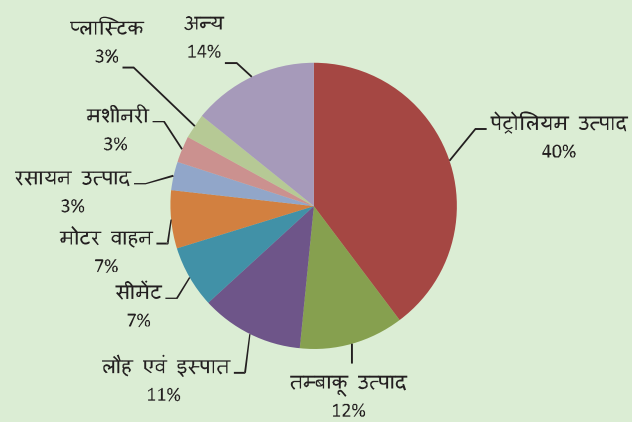

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े

पेट्रोलियम उत्पादो से राजस्व

1.10 पेट्रोलियम उत्पाद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सबसे बडे अंशदाता हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है:

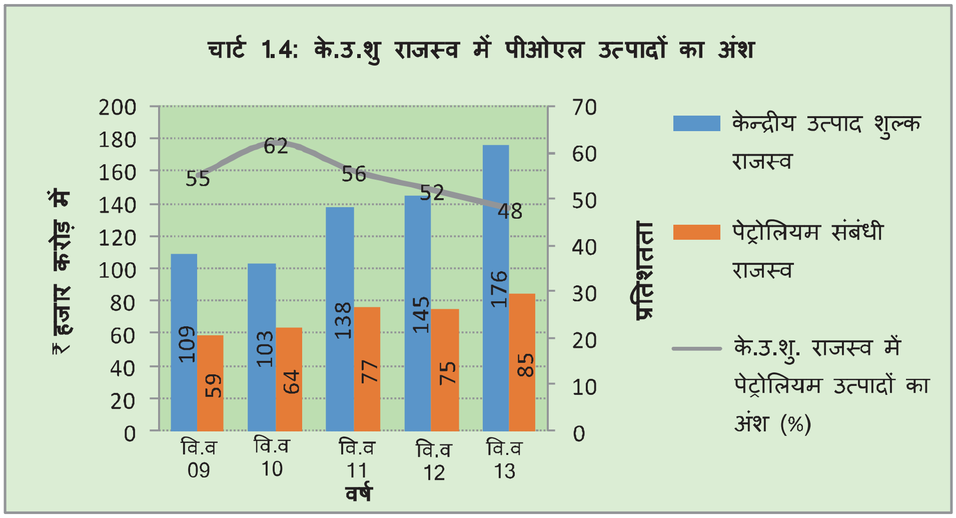

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े

पेट्रोलियम क्षेत्र से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अंशदान लगभग 50 प्रतिशत था। इस प्रकार आधा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व पेट्रोलियम क्षेत्र की कम्पनियों से आता है जिनमें से कई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं। वि.व. 13 के लिए पीओएल उत्पादों का अंश चार्ट 1.3 और 1.4 में भिन्न है। मंत्रालय को फरवरी 2014 में आंकडों का मिलान करने को कहा गया था।

मुख्य गैर पेट्रोलियम वस्तुओं का योगदान

1.11 चार्ट 1.5 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में मुख्य गैर पेट्रोलियम उत्पादों का अंश दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद, लौह एवं इस्पात, सीमेंट और मोटर वाहन गैर पेट्रोलियम उत्पादों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं।

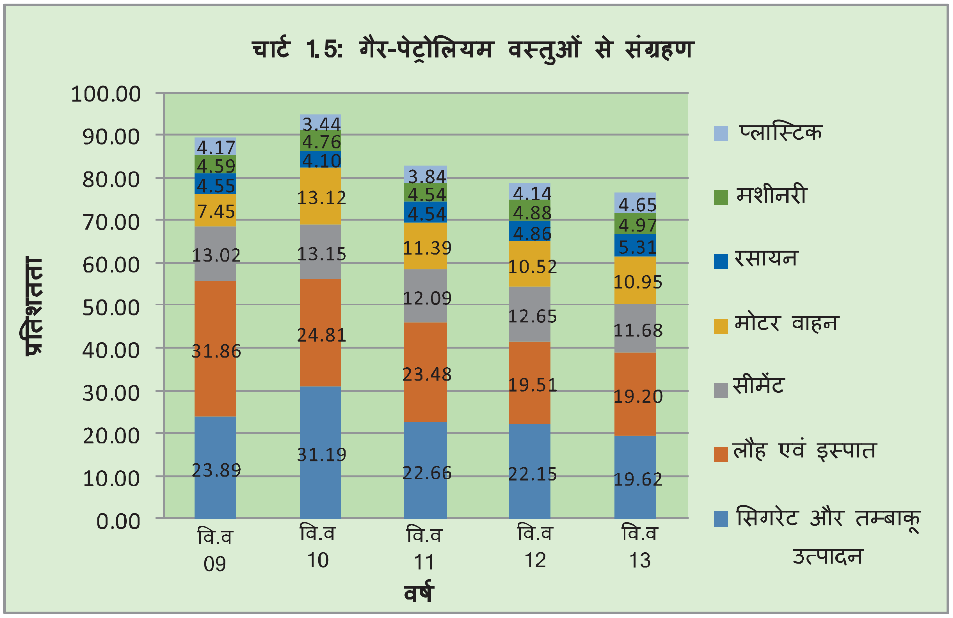

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े

सेनवेट क्रेडिट

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की तुलना में उपयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट

1.12 एक निर्माता उत्पादन सामग्री या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके निर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवाकर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है। चार्ट 1.6 तथा तालिका 1.5 वि.व. 09 से वि.व. 13 के दौरान नगदी (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संग्रहण की वृद्धि दर्शाती है।

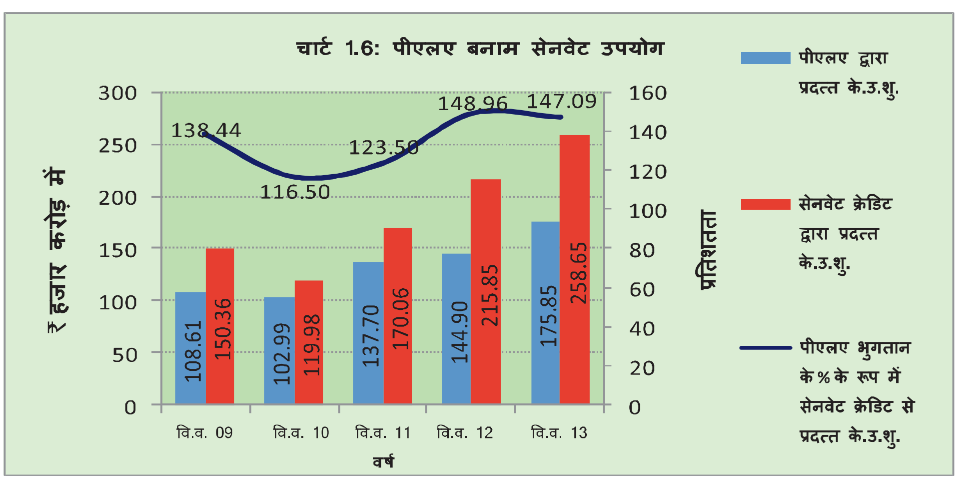

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

तालिका 1.5: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां: पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग

₹ करोड़

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		सेनवेट क्रेडिट* द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु.
	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	
वि.वि.09	1,08,613	-	1,50,361	-	138.44
वि.वि.10	1,02,991	(-)5.18	1,19,982	(-)20.19	116.50
वि.वि.11	1,37,701	33.70	1,70,058	41.74	123.50
वि.वि.12	1,44,901	5.23	2,15,849	26.93	148.96
वि.वि.13	1,75,845	21.36	2,58,648	19.83	147.09

स्रोत: *मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

सेनवेट क्रेडिट से शुल्क भुगतान में वृद्धि हुई तथा वि.व. 12 में यह पीएलए के लगभग 149 प्रतिशत पर पहुँच गया। सामान्यता, पीएलए के माध्यम से वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने में तेजी से वृद्धि हुई है। मंत्रालय के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट के उपयोग में वृद्धि के लिए प्रमुख कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में सेवा कर क्रेडिट का प्रति-उपयोग था। हमने वर्तमान रिपोर्ट में, हमारी जांच के दौरान पाए गए सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाने/उपयोग करने जैसे ₹ 149.02 करोड़ के सेनवेट संबंधित 34 मामलें सम्मिलित किए है।

1.13 तालिका 1.6 में हाल ही के वर्षों में वस्तु-वार सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करने वाली मुख्य वस्तुएं

₹ करोड़

वस्तु समूह	वि.व. 09	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13
लौह एवं इस्पात - अन्य इस्पात संयंत्र	18104	13572	19145	24790	33050
लौह और इस्पात की वस्तुएं	8401	6018	8471	9770	12032
लौह एंड इस्पात - समेकित इस्पात संयंत्र	7837	5305	7076	10785	11958
यात्रियों के परिवहन हेतु मोटर कार एंव अन्य मोटर वाहन	8628	8009	11377	15150	19397
अन्य सभी मोटर वाहन	9187	8080	11924	14388	17789
प्लास्टिक तथा उससे निर्मित वस्तुएं	9588	7331	10795	12658	16810
अध्याय 84 के अंतर्गत आने वाली अन्य मदें - मशीनरी	9732	7117	9963	12432	14202
पेट्रोलियम उत्पाद	5426	6028	7512	9757	11369
कार्बनिक रसायन	6463	4864	6807	8241	10766
तांबा तथा उसकी वस्तुएं	3184	2551	4509	4917	6176
ऐल्यूमीनियम तथा उसकी वस्तुएं	3340	2562	3758	4607	5672

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

यह पाया गया कि सभी वस्तुओं में सेनवेट के प्रयोग में वृद्धि हुई है। वि.व. 13 के दौरान मोटर कार, प्लास्टिक तथा लौह एवं इस्पात क्षेत्र में सेनवेट का उपयोग सबसे अधिक था। सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम क्षेत्र आठवें स्थान पर था।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय मुद्दे

1.14 तालिका 1.7 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के लिए बजटीय आकलन तथा तदनुरूपी वास्तविक आंकड़ों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.7: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-बजटीय आकलन और वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट आकलन #	संशोधित आकलन #	वास्तविक प्राप्तियां *	बजटीय आकलन की प्रतिशतता के रूप में अन्तर	संशोधित आकलन की प्रतिशतता के रूप में अन्तर
वि.व. 09	1,37,874	1,08,359	1,08,613	(-)21.22	0.23
वि.व. 10	1,06,477	1,02,000	1,02,991	(-)3.27	0.97
वि.व. 11	1,32,000	1,37,778	1,37,701	4.32	(-)0.06
वि.व. 12	1,64,116	1,50696	1,44,901	(-)11.71	(-)3.85
वि.व. 13	1,94,350	1,71,996	1,75,845	(-)9.52	2.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के *संघ वित्त लेखे और # प्राप्ति बजट दस्तावेज

वास्तविक प्राप्तियां वि.व. 11 को छोड़कर बजट आकलनों की अपेक्षा कम थीं। वि.व. 09 में वास्तविक संग्रहण और बजट आकलनों के बीच अन्तर, महत्वपूर्ण रूप से काफी अधिक, 21 प्रतिशत था। वि.व.11 में संग्रहण बजटीय आकलनों से 4.32 प्रतिशत तक अधिक हो गया था। चार्ट 1.7 बजटीय आकलनों पर वास्तविक प्राप्तियों के प्रतिशत विचलन को दर्शाता है।

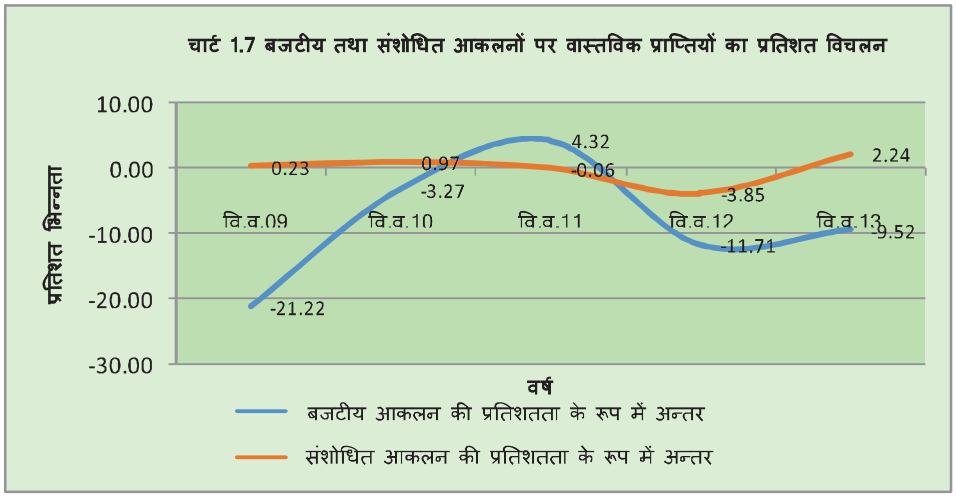

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बजटीय आकलन मुख्य रूप से कर नीति, बजटीय साधन तथा जीडीपी में संभाव्य वृद्धि जैसे कारणों पर आधारित है। इन आर्थिक मानदण्डों का वास्तविक व्यवहार इसके आरम्भ होने से पहले निर्मित आकलन से भिन्न हो सकता है और फलस्वरूप वास्तविक निवल प्राप्ति बजटीय आकलन की तुलना में कम/अधिक हो सकती है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन में प्रणालीगत मुद्दे

कर व्यय मुद्दे

1.15 कराधान, किसी सरकार के अपने व्यय की निधि हेतु राजस्व सृजन का मुख्य स्रोत है। सामूहिक कर आधार तथा कर की प्रभावी दर मुख्यत: प्राप्त राजस्व राशि का निर्धारण करती है। विशेष कर दरें, छूट कटौती, रियायत, आस्थगित अदायगी तथा क्रेडिट कुछ कारक हैं जो सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर की दर को निर्धारित करते हैं और उन्हें ''कर प्राथमिकता'' कहा जाता है। कर प्राथमिकता को अधिमान्य कर दाताओं को सहायता भुगतान के रूप में देखा जा सकता है। ''कर व्यय के'' रूप में संदर्भित ऐसे अन्तर्निहित भुगतान कर संबंधी कानून में लागू व्यय कार्यक्रम हैं।

उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ दरों के अनुसार लगाया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए(1) के तहत केन्द्र सरकार सार्वजनिक हित में छूट अधिसूचना जारी कर सकती है जिससे कि अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दर से कम शुल्क दरों जिन्हें **''प्रभावी दरें''** कहा

जाता है, के रूप में निर्धारण किया जा सकता है। शुल्क, जिसका भुगतान छूट अधिसूचना के बिना करना पड़ता और सुसंगत अधिसूचना की शर्तों के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के मध्य का अन्तर बजट दस्तावेजों में ''परित्यक्त राजस्व'' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त धारा 5ए(1) के तहत सामान्य छूट अधिसूचनाएं जारी करने के अधिकार के अलावा केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए(2) के अनुसार अपवादात्मक प्रवत्ति की परिस्थितियों के तहत अलग-अलग मामलों के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए विशेष आदेश जारी करने का भी अधिकार है। परित्यक्त राजस्व विवरण में परित्यक्त शुल्क आंकड़ों में विशेष छूट आदेशों के जारी होने के कारण संग्रहीत न किए गए शुल्क के संबध में परित्यक्त राजस्व के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है।

मंत्रालय ने कहा कि सामान्य रियायतें जो केन्द्रीय सरकार की राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग है, के विपरित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5ए(2) के अन्तर्गत रियायत आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निपटना है। वैसे विशेष रियायत आदेश के जारी होने के कारण परित्यक्त शुल्क को परित्यक्त राजस्व के आंकड़ों में परिकलन नहीं किया जा रहा है।

विशिष्ट प्रकार का व्यय होने के नाते यह अधिक प्रांसगिक है कि इस परित्यक्त राजस्व को कुल कर व्यय परिकलित करने में शामिल किया जाना चाहिए तथा इसे संसद को सूचित करना चाहिए।

1.16 तालिका 1.8 संघ सरकार के बजट दस्तावेजों में यथा सूचित हाल के वर्षों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी कर व्यय के आँकड़े दर्शाती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में वि.व.13 के लिए कर व्यय ₹ 2,06,188 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 1,87,688 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूटों के रूप में ₹ 18,500 करोड़) था जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का लगभग 117 प्रतिशत है।

तालिका 1.8 : कर व्यय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

₹ करोड़

वर्ष	*कुल कर व्यय(टीई)	जीडीपी के % के रूप में कर व्यय	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के % के रूप में कर व्यय	सकल कर प्राप्तियों के % के रूप में कर व्यय
वि.व. 09	1,35,496	2.41	124.75	22.38
वि.व. 10	1,69,121	2.61	164.21	27.08
वि.व. 11	1,92,227	2.47	139.60	24.23
वि.व. 12	1,95,590	2.17	134.98	21.99
वि.व. 13	2,06,188	2.04	117.26	19.89

*स्रोत: बजटीय दस्तावेज

चार्ट 1.8 केन्द्रीय उत्पाद राजस्व तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर व्यय को दर्शाता है। **चार्ट**

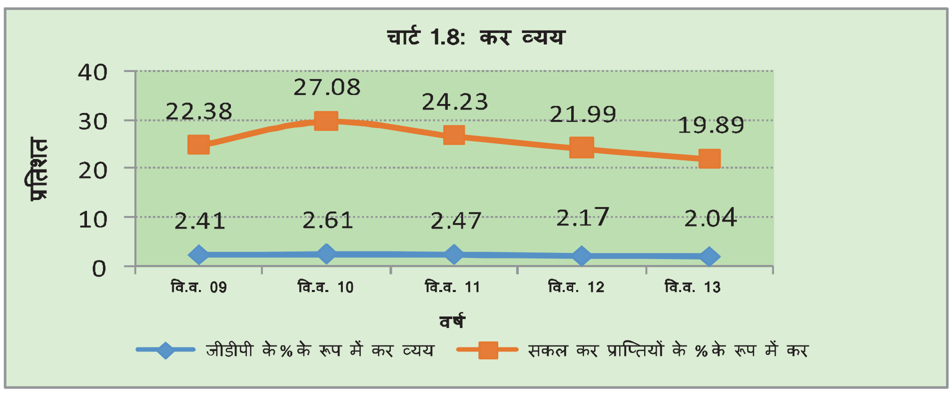

1.17 2013 की प्रतिवेदन संख्या 17 में, लेखापरीक्षा ने बताया कि सरकार को उपयुक्त समयावधि के अन्दर किसी विशेष कारण के प्रोत्साहन पर लक्ष्य की विशेष रियायत के साथ-साथ छूट सहित सामान्य नीति स्तर रियायत के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे विश्लेषण को बजट दस्तावेजो के भाग या विशेष रिपोर्ट जो कि सार्वजानिक डोमेन में उपलब्ध हो, के रूप में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ऐसी प्रणाली पारदर्शिता लायेगी और नियमित/तदर्थ कर रियायतो की आवश्यकता पर सार्वजनिक वाद-विवाद को सक्षम बनाएगी।

मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक हित में जारी रियायतों को उनकी कुशलता के मूल्यांकन हेतु समय-समय पर

समीक्षित किया जाता है तथा जहां आवश्यक हो, वहाँ उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। तथापि, यह ज्ञात नहीं है कि ऐसी समीक्षा प्रलेखित की जाती है तथा संसद को प्रस्तुत की जाती है। सार्वजनिक डोमेन में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

निर्धारिती आधार

1.18 "निर्धारिती" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो निर्धारित शुल्क के भुगतान का दायी है या उत्पाद शुल्क योग्य माल का निर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहित किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है। एक एकल कानूनी सत्व (कम्पनी अथवा व्यक्ति) की विनिर्माण इकाईयों के स्थान पर आधारित कई निर्धारिती पहचान हो सकती हैं। तालिका 1.9 पिछले दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों की संख्या बताती हैं:

तालिका 1.9: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निर्धारितियों की संख्या

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
वि.व. 09	2,95,222	-
वि.व. 10	3,15,171	6.76
वि.व. 11	3,44,753	9.39
वि.व. 12	3,35,759	-2.61
वि.व. 13	3,48,294	3.73

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े[7]

100 शीर्षस्थ निर्धारितियों (राजस्व योगदान के अनुसार) जिनमें तेल क्षेत्र की कम्पनियां, तम्बाकू उत्पाद, ऑटोमोबाइल, सीमेन्ट, स्टील तथा टायर निर्माता शामिल हैं, ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में 70 प्रतिशत का योगदान दिया।

निर्धारितियों द्वारा दाखिल की गई विवरणियों द्वारा कर भुगतान की सूचना

1.19 चार्ट 1.9 पंजीकृत निर्धारितियों तथा उन निर्धारितियों जिन्होंने रिटर्न भरा है, की संख्या दर्शाता है।

[7] दिनांक 11.10.2013 के मंत्रालय के पत्र एफ. संख्या 233/05/2013-सीएक्स 7 द्वारा

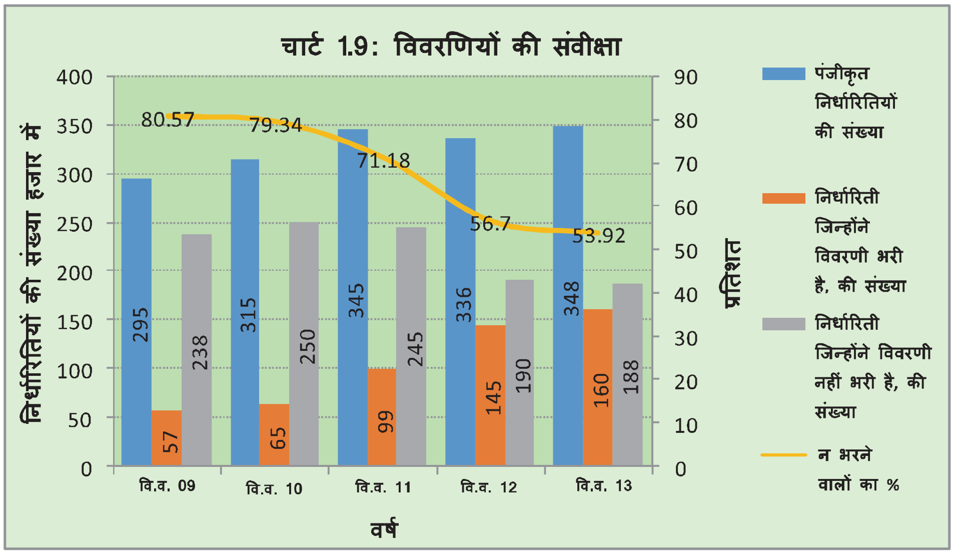

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े[8]

स्व-निर्धारण के आरम्भ होने के बाद, निर्धारिती द्वारा भरी गई विवरणी सरकार को भुगतान किए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की शुद्धता की जांच करने का एकमात्र उपकरण है। चार्ट 1.9 दर्शाता है कि पचास प्रतिशत से अधिक पंजीकृत निर्धारिती विवरणी नहीं भर रहे है। सभी पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा विवरणी भरने को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

नीतिगत योजना को अंतिम रूप देना

1.20 सीबीईसी ने आगामी 5 वर्षो के लिए अपनी नीतिगत योजना[9] को अन्तिम रूप देने के लिए स्वयं लक्ष्य तिथि (15 दिसम्बर 2013) रखी। नीतिगत योजना को अभी स्वीकृत किया जाना है। चूंकि नीतिगत योजना अपने लक्ष्य के साथ-साथ अपने बताए दृष्टिकोण को पूरा करने में सीबीईसी (तथा अधीनस्थ संगठन) की प्रगति को मार्गदर्शित करेगी। अत: इस दिशा में सम्बंधित कार्य किए जाना आवश्यक है।

---

8 दिनांक 11.10.2013 के मंत्रालय के पत्र एफ. संख्या 233/05/2013-सीएक्स 7 द्वारा

9 2012-13 के लिए आरएफडी, खण्ड 2 तथा 3

विवरणियों की संवीक्षा

1.21 सीबीईसी ने 1996 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण प्रारम्भ किया। स्व-निर्धारण के प्रारम्भ के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र भी प्रदान किया। निर्धारण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों, जिन्हें शुल्क भुगतान की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करनी होती है, का मूल कार्य है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा मैनुअल के अनुसार, रेंज अधिकारी द्वारा डिवीजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप आयुक्त को प्राप्त तथा संवीक्षित विवरणियों की संख्या के संदर्भ में एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस द्वारा की जाती है एवं विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मैनुअली की जाती है।

तालिका 1.10 पिछले तीन वर्षों के दौरान एसीईएस द्वारा समीक्षा एवं शोधन (आर एंड सी) हेतु चिन्हित किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों तथा निपटायी गई विवरणियों की संख्या के संबंध में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाती है।

तालिका 1.10: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की समीक्षा एंव शोधन

वर्ष	भरे गए विवरणियों की संख्या	समीक्षा एवं शोधन हेतु भेजे गए विवरणियों की सं.	समीक्षा एवं शोधन के पश्चात् निपटायी गई विवरणियों की सं.	समीक्षा एवं शोधन हेतु लम्बित विवरणियों की सं.
वि.व. 11	7,39,789	7,20,027	1,52,155	5,67,872
वि.व. 12	17,00,773	16,39,176	6,95,098	9,44,078
वि.व. 13	29,08,856	27,78,012	19,67,536	8,10,476

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आँकड़े

स्व-आकलन की शुरूआत के बाद, भुगतान योग्य शुल्क की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए विवरणियों की संवीक्षा (एवं आकलन की) तथा आंतरिक लेखापरीक्षा ही विभाग के पास उपलब्ध मुख्य तंत्र हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी संवीक्षा मैनुअल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों के केवल 5 प्रतिशत की विस्तृत संवीक्षा निर्धारित करती है। इसका अर्थ है कि आकलन के एक बहुत ही छोटे भाग की विस्तार से संवीक्षा किये जाने की आवश्यकता होती है।

1.22 तालिका 1.11 पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की विस्तृत संवीक्षा के संबंध में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाती है।

तालिका 1.11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या#	विवरणियों की सं. जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी	संवीक्षा की गई विवरणियों की संख्या जहाँ कमियाँ पाई गई।	मामलों की सं. जहाँ अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी	विवरणियों की सं. जहाँ विस्तृत संवीक्षा लम्बित थी	लंबन की अवधि-वार विघटन		
						6 माह से 1 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ	1 से 2 वर्ष के मध्य से लम्बित विवरणियाँ	2 वर्ष से अधिक के लिए लम्बित विवरणियाँ
वि.व. 11	19735	10819	262	151	8506	8281	235	16
वि.व. 12	27404	13055	250	231	14142	13701	452	20
वि.व. 13	50039	38900	557	463	10144	8108	1684	240

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गए आँकडे, #वर्तमान वर्ष अथवा पिछले वर्षों में भरे गए विवरणियाँ

इस तथ्य के बावजूद कि विवरणियों के केवल 5 प्रतिशत की विस्तार से संवीक्षा की जानी है, तालिका 1.22 दर्शाती है कि विवरणियों की एक बड़ी संख्या संवीक्षा हेतु लम्बित थी। अवधि-वार विघटन दर्शाता है कि 1924 विवरणियाँ एक वर्ष से अधिक से लम्बित थे।

2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 17 में, मंत्रालय ने बताया कि निर्धारिती आधार में वृद्धि तथा अनिवार्य इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के कारण, संवीक्षा के लिए विवरणियों की संख्या बढ़ गई है एवं स्टाफ की कमी के चलते विस्तृत संवीक्षा पूरा करना संभव नही था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की विवरणियों के केवल 5 प्रतिशत की संवीक्षा के मानदण्ड के बावजूद विस्तृत संवीक्षा पूरी ना करने की विभाग की अरूचि तर्कसंगत नही है। लेखापरीक्षा द्वारा विवरणियों की संवीक्षा के एक जारी अध्ययन से पता चला कि विभाग द्वारा विवरणियों की संवीक्षा अभी भी एक उपेक्षित क्षेत्र है जो राजस्व संग्रह के लिए एक गंभीर चुनौती है।

प्रतिदाय

1.23 तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग के प्रतिदाय संबंधी प्रदर्शन के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में प्रतिदाय

करोड़ ₹

वर्ष	अथशेष		वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		वर्ष के दौरान निपटान						अन्त: शेष	
					वर्ष के दौरान संस्वीकृत प्रतिदाय		90 दिनों के भीतर निपटाए गए मामले	लम्बित निपटान	मामले जहाँ ब्याज का भुगतान किया गया			
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	मामलों की सं.	मामलों की सं.	भुगतान किया गया ब्याज	मामलों की सं.	राशि
वि.व. 11	32,400	3,094.51	153,247	16,342.63	1,48,652	14,849.57	1,43,787	4,865	130	3.66	36,995	4,587.57
वि.व. 12	36,995	4,587.57	167,478	27,627.16	1,65,229	27,137.70	1,58,538	6,691	18	7.01	39,244	5,077.03
वि.व. 13	39,244	5,077.03	175,902	21,795.55	1,70,797	21,138.72	1,64,669	6,128	20	15.47	44,349	5,733.86

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े[10]

तालिका दर्शाती है कि मामलो की संख्या जहाँ ब्याज का भुगतान किया गया था, पिछले तीन वर्षों में 130 से 20 तक कम हो गई थी। यद्यपि, ब्याज भुगतान ₹ 3.66 करोड़ से ₹ 15.47 करोड़ तक बढ़ गया। यह दर्शाता है कि प्रतिदाय प्रदान करना एक उपेक्षित क्षेत्र है। बोर्ड को विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्यों इसे मात्र 20 मामलों में ₹ 15.47 करोड़ के बड़े ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, 2013 के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.17 में, हमने दर्शाया था कि मंत्रालय तथा प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक[11] द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिदायों के आँकड़ो में अन्तर था। वि.व. 11 तथा वि.व. 12 के आँकड़ो की तुलना दर्शाती है कि आँकड़ो के दोनों समूहों में अभी भी अन्तर है जिसे समायोजित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि प्रतिदाय में क्या शामिल है क्योंकि इसमें प्रतिदाय किये गये अतिरिक्त कर संग्रह के साथ साथ व्यापार प्रोत्साहन पर प्रतिदाय दोनो शामिल हो सकते हैं।

तालिक 1.13 बोर्ड द्वारा किसी प्रतिदाय मामले के निपटान हेतु निर्धारित अवधि, 90 दिनों से अधिक के लिए लम्बित प्रतिदाय मामलों के अवधि वार विघटन को दर्शाती है।

[10] दिनांक 26.11.2013 के मंत्रालय के पत्र एफ सं. 233/17/2013-सीएक्स 7 द्वारा

[11] 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 17 का पैराग्राफ 1.62

तालिका 1.13: 90 दिनों से अधिक से लम्बित प्रतिदाय मामलो का अवधि-वार विघटन

करोड़ ₹

वर्ष	प्रतिदाय आवेदन के प्रप्ति की तिथि से 90 दिनो से 180 दिनो के बीच के लिए लम्बित मामलें		प्रतिदाय आवेदन के प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों से एक वर्ष के मध्य के लिए लम्बित मामले		प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए लम्बित मामले	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
वि.व. 11	6,879	1,111.24	829	161.16	1,188	602.89
वि.व. 12	7,016	1,133.77	445	57.73	1,010	181.30
वि.व. 13	8,539	1,653.03	445	831.52	1,004	91.89

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

1.24 यदि प्रतिदायों की संस्वीकृति/चुकाने में विलम्ब हो, तो निर्धारित दरों पर ब्याज भुगतान योग्य होता है। ऐसा ब्याज भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होने के नाते, उचित बजटीय तंत्र के माध्यम से होना चाहिए। बोर्ड को लम्बे समय से लम्बित प्रतिदाय मामलों की जाँच-पड़ताल करनी चाहिए तथा ब्याज भुगतान के उत्तरदायित्व को टालने के लिए ऐसे मामलों के निपटान हेतु निर्देश जारी करने चाहिए।

हमने देखा कि लम्बित प्रतिदायों पर भुगतान किये गए ब्याज को लेखों में राजस्व में कमी के रूप में लिया गया था[12]। इस व्यय हेतु संसद से पूर्व स्वीकृति नही ली गई थी। संघ लेखाओं के साथ साथ प्रत्यक्ष कर प्रशासन पर हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों ने पहले भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 17 में, मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2013) कि प्रतिदाय पर ब्याज के भुगतान के मामले को व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए तथा पारदर्शिता लाने हेतु संसद को सूचित किया जाना चाहिए।

लोक लेखा समिति, प्रत्यक्ष करों के संबंध में इस मुद्दे की जाँच करते समय सीएजी के विचार से सहमत थी कि ब्याज व्यय का एक मद है तथा सकल कर संग्रह से घटाया नहीं जाना चाहिए[13]। पीएसी ने दोहराया कि राजस्व विभाग को सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिदायों पर ब्याज पर व्यय संवैधानिक

12 संघ उत्पाद शुल्क के संस्वीकृत प्रतिदाय वित्त लेखाओं में 'प्रतिदाय कटौती' के रूप में अलग अलग उप-दीर्घ शीर्ष शुल्क के तहत संबंधित लघु शीर्षों के तहत एक उप-शीर्ष के रूप में दर्शायें गए है।

13 2011-12 के प्रतिवेदन सं. 1 का पैराग्राफ सं. 4.1.1 - संघ सरकार - संघ सरकार के लेखे (सिविल)।

प्रावधानों के अनुसार वहन किये जाए जिसमें विशिष्ट संसदीय स्वीकृति अपेक्षित है[14]।

अधिनिर्णय

1.25 अधिनिर्णय केन्दीय उत्पाद शुल्क प्रशासन में वर्गीकरण, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, देय कर/शुल्क आदि से संबंधित मुद्दों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत विभागीय प्राधिकरणों के माध्यम से एक मुद्दे पर निर्णय करने की प्रक्रिया है। जब भी अनियमितताएँ देखी जाती हैं तो विभाग निर्धारितियों से 'कारण बताओं नोटिसों' (एससीएन) के रूप में माँग जारी करता है।

अधिनिर्णय हेतु लंबित बकाया मामले

1.26 हमने तालिका 1.14 मे पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिनिर्णय/वसूली के लिए बकाया उत्पाद शुल्क हेतु माँग में शामिल राशियों को दर्शाया है।

तालिका 1.14: विभागीय प्राधिकरण के पास अधिनिर्णय हेतु लम्बित मामले

करोड़ ₹

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामले		मामलों का अवधि-वार विघटन					
			एक वर्ष से कम से लम्बित मामले		एक वर्ष से अधिक परन्तु 2 वर्षों से कम से लम्बित मामले		दो वर्षों से अधिक से लम्बित मामले	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
वि.व. 11	14,181	13,133.42	13,078	11,412.69	733	1,622.35	170	222.59
वि.व. 12	16,463	16,338.26	14,559	13,375.58	822	1,671.04	900	1,589.19
वि.व. 13	16,125	17,020.54	14,703	13,408.72	1,016	1,468.52	326	1,353.85

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े[15]

तालिक 1.14 दर्शाती है कि 31 मार्च 2013 तक ₹ 17,020.54 करोड़ के शुल्क वाले मामले अधिनिर्णय हेतु लम्बित थे। लम्बन प्रति वर्ष बढ़ रहा है। अवधि-वार विघटन दर्शाता है कि ₹ 1,353.85 करोड़ वाले 326 मामले दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। इन मामलों की जाँच किये जाने तथा सभी लम्बे समय से लम्बित मामलों को निपटाने हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

---

[14] 6 फरवरी 2014 को पटल पर रखी गई वित्त मंत्रालय द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर प्रतिवेदन सं. 96: संसदीय अनुमोदन के बिना प्रतिदायों पर वहन किया गया व्यय।

[15] दिनांक 26.11.2013 के मंत्रालय के पत्र एफ सं. 233/17/2013-सीएक्स 7 द्वारा

नीचे तालिका 1.15 दर्शाती है कि ₹ 16,140 करोड़ की अपुष्टीकृत मागों के साथ लम्बित कारण बताओ ज्ञापनों (एससीएन) के मामलों की संख्या पंद्रह हजार से अधिक है।

तालिका 1.15 लम्बित एससीएन की संख्या तथा सम्मिलित राशि

करोड़ ₹

वर्ष	एससीएन जारी करने हेतु कारण												कुल	
	पंजीकरण की विफलता		ईआर-1 रिटर्न देर से भरना		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का विलम्बित भुगतान		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने में विफलता		शुल्क योग्य माल के मूल्य को छिपाना		अन्य			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि.व. 11	30	20.16	1082	1.31	220	83.66	3260.8	4095.23	1600	1807.77	7192	4963.54	13501	11131.92
वि.व. 12	34	16.84	1914	0.06	118	81.36	3115.32	4034.3	1984	2646.31	8731	6480.97	15887	13754.31
वि.व. 13	31	9.93	2682	0.19	167	67.43	3384.07	6462.91	1800	3976.67	7779	5379.13	15811	16140.1

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

अपीलों का लम्बन

1.27 निर्धारितियों को अनेक विभागीय के साथ न्यायिक अधिकरण उपलब्ध है जहाँ विभागीय प्राधिकरणों तथा निचले न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सकती है। यहाँ तक कि विभाग भी ऐसे निर्णय के मामले में अपील के लिए जाता है जो राजस्व के विरूद्ध दिया गया हो। तालिका 1.16 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायाधिकरणों में लम्बित मामलों को दर्शाती है।

तालिका 1.16 विभिन्न न्यायाधिकरणों में लम्बित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से संबंधित अपीलें

करोड़ ₹

वर्ष		न्यायाधिकरण	वर्ष के अंत में लम्बित अपीलें					
			पार्टी की अपीलों का विवरण		विभागीय अपीलों का विवरण		कुल	
			अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)
वि.व. 11	(क)	आयुक्त (अपील)	20438	4207.73	3444	633.13	23882	4840.86
	ख(i)	सेसटेट	28982	30566.80	17112	8997.35	46094	39564.15
	(ii)	उच्च न्यायलय	7630	4886.14	7581	5996.55	15211	10882.69
	(iii)	सर्वोच्च न्यायालय	750	1225.11	1925	6030.18	2675	7255.29
	(iv)	कुल न्यायालय + सेसटेट	37362	36678.05	26618	21024.08	63980	57702.13
		सकल जोड़	**57800**	**40885.78**	**30062**	**21657.21**	87862	62542.99
वि.व. 12	(क)	आयुक्त (अपील)	19485	4611.83	2453	381.07	21938	4992.90
	ख(i)	सेसटेट	29252	39427.84	14982	9903.87	44234	49331.71
	(ii)	उच्च न्यायलय	5356	4087.41	5507	5203.37	10863	9290.78
	(iii)	सर्वोच्च न्यायालय	642	1060.02	1575	5896.21	2217	6956.23
	(iv)	कुल न्यायालय + सेसटेट	35250	44575.27	22064	21003.45	57314	65578.72
		सकल जोड़	**54735**	**49187.10**	**24517**	**21384.52**	79252	70571.62
वि.व. 13	(क)	आयुक्त (अपील)	23233	7103.14	2965	557.59	26198	7660.73
	ख(i)	सेसटेट	35694	63278.29	15832	12099.51	51526	75377.80
	(ii)	उच्च न्यायलय	5631	6843.69	5430	5527.35	11061	12371.04
	(iii)	सर्वोच्च न्यायालय	760	1428.56	1632	5743.01	2392	7171.57
	(iv)	कुल न्यायालय + सेसटेट	42355	71550.54	22894	23369.87	65249	94920.41
		सकल जोड़	**65588**	**78653.68**	**25859**	**23927.46**	91447	102581.14

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े

तालिका दर्शाती है कि एक लाख करोड़ से अधिक के राजस्व वाले मामले अपील में लम्बित थे। राशि प्रति वर्ष बढ़ रही है। चूँकि अपील के लम्बित होने तक राजस्व की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती, एक लाख करोड़ रूपये के राजस्व का अवरूद्ध हो जाना चिन्ता का विषय है। जून 2010 मे प्रारंभ की गई राष्ट्रीय वाद नीति इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार एवं इसकी विभिन्न एजेन्सियाँ देश में न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनलों में प्रमुख वादी हैं। इसका लक्ष्य सरकार को एक दक्ष एवं जिम्मेदार वादी बनाना है। वि.व. 12 का बजट भाषण सूचित करता है कि वादों को कम करने तथा

उच्च राजस्व मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु वि.व. 11 में कदम उठाए गए थे। कर प्रभाव की सीमा, जिससे नीचे, अपील के उच्चतर न्यायालयों में सरकार द्वारा वाद जारी नही रखे जाएगें, को बढ़ाने हेतु निर्देश जारी किये गए हैं। इन उपायों से राजस्व बढ़ाने में लगे संसाधनों की उत्पादकता बढ़ने की अपेक्षा की जाती है।

तालिक 1.17: पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाई गई अपीलें

करोड़ ₹

वर्ष		न्यायाधिकरण	वर्ष के दौरान निपटाई गई अपीले					
			पार्टी की अपीलों का विवरण		विभागीय अपीलों का विवरण		कुल	
			अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़)
वि.व. 11	(क)	आयुक्त (अपील)	3484	631.82	24951	4372.38	28435	5004.20
	ख(i)	सेसटेट	1933	1773.06	253	3253.12	2186	5026.18
	(ii)	उच्च न्यायलय	824	769.41	879	1032.75	1703	1802.16
	(iii)	सर्वोच्च न्यायालय	87	784.28	29	185.44	116	969.72
	(iv)	कुल न्यायालय + सेसटेट	2844	3326.75	1161	4471.31	4005	7798.06
		सकल जोड़	**6328**	**3958.57**	**26112**	**8843.69**	**32440**	**12802.26**
वि.व. 12	(क)	आयुक्त (अपील)	4975	1137.87	19630	3953.69	24605	5091.56
	ख(i)	सेसटेट	5427	1762.99	11313	7050.22	16740	8813.21
	(ii)	उच्च न्यायलय	2874	2476.73	3806	3240.24	6680	5716.97
	(iii)	सर्वोच्च न्यायालय	680	1296.60	309	862.44	989	2159.04
	(iv)	कुल न्यायालय + सेसटेट	8981	5536.32	15428	11152.90	24409	16689.22
		सकल जोड़	**13956**	**6674.19**	**35058**	**15106.59**	**49014**	**21780.78**
वि.व. 13	(क)	आयुक्त (अपील)	2724	502.95	21392	4315.86	24116	4818.81
	ख(i)	सेसटेट	1540	840.32	5767	7300.36	7307	8140.68
	(ii)	उच्च न्यायलय	687	646.34	1813	3812.23	2500	4458.57
	(iii)	सर्वोच्च न्यायालय	104	1187.72	88	72.71	192	1260.43
	(iv)	कुल न्यायालय + सेसटेट	2331	2674.38	7668	11185.30	9999	13859.68
		सकल जोड़	**5055**	**3177.33**	**29060**	**15501.16**	**34115**	**18678.49**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकडे

तालिका 1.17 दर्शाती है कि विभागीय प्रयास, सार्थक होते हुए भी, मामलों के निपटान में एक घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2013 की प्रतिवेदन सं. 17 में, मंत्रालय ने मामलों के निपटान को तीव्र करने हेतु किये गए अनेक उपाय सूचित किये। तथापि,

वि.व. 13 के अन्त तक लम्बन दर्शाता है कि लम्बित मामलों की संख्या वृद्धि पर है। राष्ट्रीय वाद नीति की कार्यशैली के ध्यानपूर्वक विश्लेषण तथा दीर्घ अवधि से लम्बित मामलों के निपटान हेतु एक समयबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता है।

कॉल बुक

1.28 विषय से संबंधित मौजूदा परिपत्र में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 03.10.2005 के अपने डी.ओ. एफ. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए कि माहवार समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया।

हाल के कुछ वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक निपटान के संबंध में हमने विभाग के निष्पादन को सारणीबद्ध किया और देखा कि कॉल बुक मामलों का लंबन अभी भी बहुत अधिक है जो कॉल बुक मदों की समीक्षा की प्रक्रिया की गहन निगरानी करने की आवश्यकता को इंगित करता है। वित्त वर्ष 13 के दौरान लंबित कॉल बुक मामलों की संख्या 29000 को पार कर गई।

तालिका 1.18: कॉल बुक लम्बित मामले

वर्ष	वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अन्त मे अन्त: शेष	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त में लम्बन का अवधि वार विघटन			
					एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष* से अधिक
वि.व. 11	6,746	3,399	24,863	42,207.90	7,133	8,423	6,235	3,069
वि.व. 12	7,168	4,767	24,081	46,727.46	7,112	9,069	6,498	3,775
वि.व. 13	7,002	5,217	29,115	53,521.86	7,434	9,754	7,627	4,409

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े[16]

चार्ट 1.10 वि.व. 13 के दौरान कॉल बुक मे लम्बित मामलों के लिए कारण दर्शाता है। दिनाँक 14.12.1995 के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, मामलों की केवल चार श्रेणियाँ कॉल बुक में रखी जा सकती हैं। यद्यपि, चार्ट 1.3 दर्शाता है कि 130 मामले अन्य कारणों से लम्बित थे। मंत्रालय को यह पता लगाने के लिए कि इनमे से कितनों को वास्तव में कॉल बुक में रखे जाने की आवश्यकता है, इन मामलो की बारीकी से जाँच करनी चाहिये।

चार्ट 1.10 : वि.व. 13 के दौरान लम्बित कॉल बुक मामलों के लिए कारण

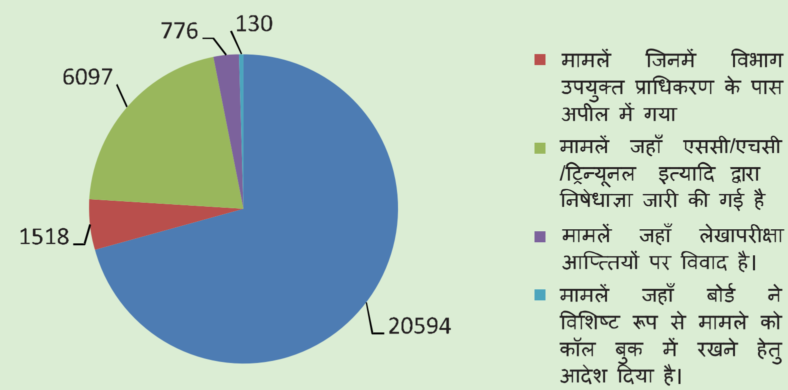

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े

विभाग द्वारा निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

1.29 भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार विशिष्ट विशेषताएँ हैं: जोखिम विश्लेषण के पश्चात् वैज्ञानिक चयन, पूर्व-तैयारी पर जोर देना, विधिक अभिलेखों के प्रति वाणिज्य अभिलेखों की जाँच करना तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की निगरानी करना।

[16] दिनांक 26.11.2013 के मंत्रालय के पत्र एफ सं. 233/17/2013-सीएक्स 7 द्वारा

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रारंभिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना का एकत्रीकरण और प्रलेखन, संयंत्र का दौरा, आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन, राजस्व और प्रवृत्तियों के लिए जोखिम का विश्लेषण, लेखापरीक्षा योजना का विकास, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा निष्कर्ष तैयार करना, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/मंडलीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा और फिर रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है। कम्प्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा उपकरणों का रचनात्मक उपयोग, विशेष रूप से बड़ी निर्धारिती इकाईयों की लेखापरीक्षा में, लेखापरीक्षा प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

चार्ट 1.11 आयुक्तालयों के लेखापरीक्षा दल द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों की तुलना में लेखापरीक्षा योग्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इकाईयों की संख्या दर्शाता है।

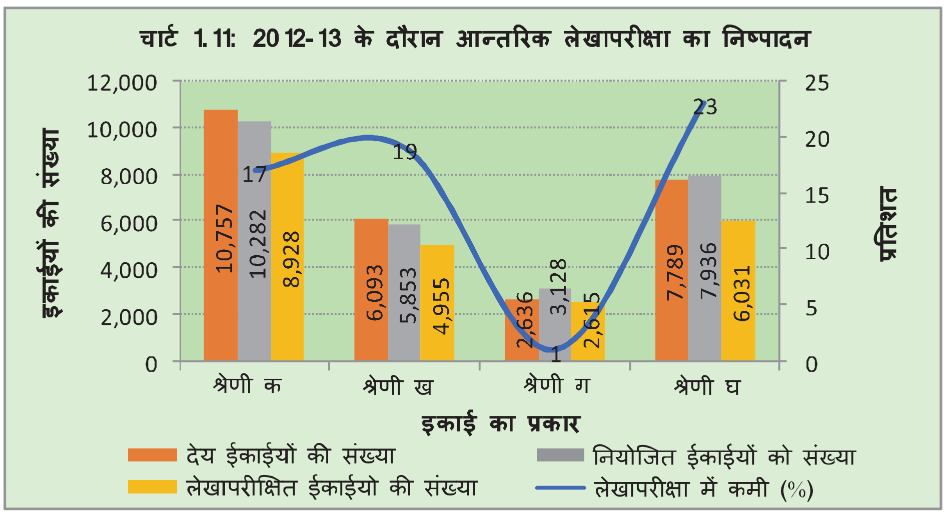

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि श्रेणी 'क' इकाईयों (अनिवार्य) और श्रेणी 'ख' इकाईयों (उच्च राजस्व गैर-अनिवार्य ईकाइयों) के कवरेज में कमी आई थी। दूसरी तरफ विभाग ने लेखापरीक्षा हेतु देय ईकाईयों की तुलना में अधिक श्रेणी ग एवं घ इकाईयों (कम राजस्व की गैर अनिवार्य इकाईयाँ) की योजना बनाई थी। नियोजित ईकाईयों की तुलना में, वास्तव में लेखा परीक्षित ईकाईयों की संख्या में कमी आई है। जबकि उच्च राजस्व देने वाली ईकाईयों की उपेक्षा की जा रही थी, कम राजस्व देने वाली ईकाईयों की लेखापरीक्षा की गई थी जो दोषपूर्ण नियोजन प्रक्रिया को इंगित करती है।

मंत्रालय ने सूचित किया कि अनिवार्य इकाईयों की लागत पर गैर-अनवार्य इकाईयों की बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा करने की पद्धति में कटौती करने के लिए मुख्य आयुक्तों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता

1.30 हमने अनिवार्य इकाईयों की डेस्क समीक्षा, सत्यापन और कवरेज से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन न करने का पहले भी अवलोकन किया था[17]। हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारिती परिसरों में लेखापरीक्षा किये जाने के बाद भी, ₹ 1.72 करोड़ राशि की चूकें (उत्पाद शुल्क योग्य माल के कम मूल्यांकन को न खोजना और सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना) थी, ऐसे दो मामले इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 3.4.1 एवं 3.4.2 में दर्शाये गये हैं।

मंत्रालय ने सूचित किया कि विभाग द्वारा सभी आयुक्तालयों के लिए वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा (क्यू ए आर) की जाती है और श्रेणी प्रदान की जाती है, जिसे लेखापरीक्षा निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पक्ष को और अधिक व्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

अस्थायी निर्धारण

1.31 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 का नियम 7 दर्शाता है कि जहां निर्धारिती उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य या लागू दर के निर्धारण में असमर्थ है, वह अस्थायी आधार पर शुल्क भुगतान के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक/उप आयुक्त को अनुरोध कर सकता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक/उप आयुक्त प्रासंगिक सूचना उपलब्ध होने पर निर्धारण को अंतिम रूप प्रदान करते हैं। तालिका 1.19 विगत तीन वर्षों के दौरान अस्थायी निर्धारण की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 1.19: विगत तीन वर्षों के दौरान लंबित अस्थायी निर्धारण मामले

₹ करोड़

वर्ष	वर्ष के अंत तक लंबित मामले	शामिल राजस्व	विलंबन का अवधि-वार विघटन			
			6 मास से कम	6-12 मास	1 वर्ष - 5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक
वि.व. 11	295	469.08	120	63	198	106
वि.व. 12	374	495.61	137	129	217	107
वि.व. 13	432	484.83	143	101	308	107

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े।

[17] ''आयुक्तालयों, प्रभागों और रेंजों की कार्यप्रणाली'' पर 2011-12 का सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 25

तालिका 1.19 दर्शाती है कि 100 से अधिक मामले पांच वर्षों से अधिक से लंबित थे। मंत्रालय को अधिक समय से लंबित मामलों की जांच कर उनके निपटान हेतु निर्देश जारी करना चाहिए।

प्रति अपवंचन

1.32 केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क इटैलीजेंस के महानिदेशक (डीजीसीईआई) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपवंचन की जांच और रोकने का कार्य करते हैं। जबकि आयुक्तालय, क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर है, डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, आयुक्तालयों से साझा की जाती है और अखिल भारतीय के स्तर के मामलों में जांच भी डीजीसीईआई द्वारा की जाती है। तालिका 1.20 विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई द्वारा पकडे गये प्रति अपवंचन मामलों को दर्शाती है।

तालिका 1.20: विगत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का प्रति-अपवंचन निष्पादन

₹ करोड़

वर्ष	पकड़े गए मामलें		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व. 11	732	1,355.65	137.19
वि.व. 12	450	1,139.63	255.23
वि.व. 13	458	2,940.22	1,018.96

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े

यह देखा जा सकता है कि पकड़े गये प्रति अपवंचन मामलों की संख्या विगत दो वर्षों के दौरान से लगभग स्थिर रही किंतु अपवंचित राशि लगभग दोगुनी हो गई। जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी में भी वृद्धि हुई।

1.33 तालिका 1.21 विगत तीन वर्षों के दौरान आयुक्तालयों द्वारा पकड़े गये प्रति-अपवंचन मामलों को दर्शाती है।

तालिका 1.21: विगत तीन वर्षों के दौरान आयुक्तालय का प्रति-अपवंचन निष्पादन

₹ करोड़

वर्ष	पकड़े गये मामले		जांच के दौरान स्वैच्छिक अदायगी
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व. 11	2,854	5,564.47	711.31
वि.व. 12	2,877	2,787.98	965.17
वि.व. 13	2,150	3,415.29	482.48

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े

आयुक्तालय स्तर पर वि.व. 13 में पकड़े गये मामलों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में कमी हुई। वि.व. 13 में जांच के दौरान स्वेच्छा से की गई अदायगी में लगभग 50 प्रतिशत कमी हुई।

विभागीय प्रयासों द्वारा संग्रहण

1.34 स्वनिर्धारण दौर में, निर्धारिती स्वयं अपना शुल्क निर्धारित और अदा करता है। कुछ राजस्व वसूली विभागीय प्रयासों से भी होती है। तालिका 1.22 निर्धारितियों द्वारा अदा किया गया शुल्क और विभागीय प्रयासों से अतिरिक्त संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.22 विभागीय प्रयासों द्वारा संग्रहण

₹ करोड़

वर्ष	निर्धारितियों द्वारा स्वेच्छा* से अदा किया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क	विभागीय प्रयासों जैसे एससीएन, अधिनिर्णयन, न्यायालय आदेश आदि# द्वारा संग्रहण
वि.व. 11	1,37,701	944.88
वि.व. 12	1,44,901	1,194.93
वि.व. 13	1,75,845	2,310.15

स्रोत: * संबंधित वर्षों के वित्त लेखे #मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े

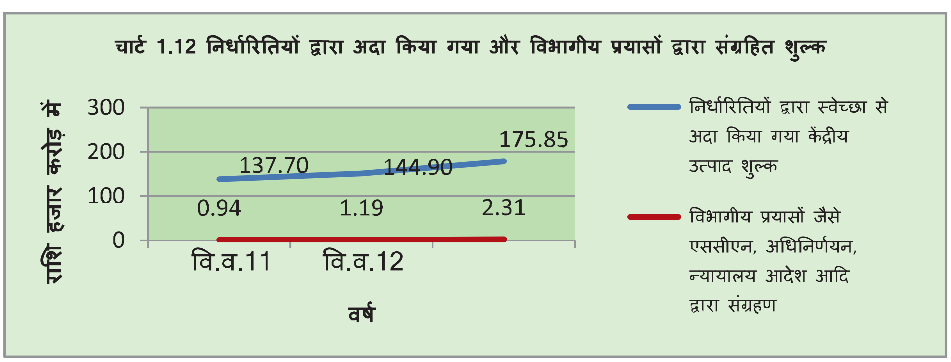

बकाया कर

1.35 कानून, मांगे गये किन्तु वसूल न हो पाये राजस्व की वसूली के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। इसमें उस व्यक्ति, जिससे राजस्व वसूल किया जाना है, को देय राशि, यदि कोई हो, का समायोजन, जब्त किए गए उत्पाद शुल्क योग्य माल की बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व प्राधिकरण द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली किया जाना शामिल है।

तालिका 1.23 बकाया वसूली

₹ करोड़

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष के अंत में लंबित बकाया वसूली	संग्रहण, वर्ष के आरंभ में बकाये के % के रूप में
वि.व. 11	25,864.84	1,170.06	30,029.59	4.52
वि.व. 12	30,029.59	1,132.59	34,654.65	3.77
वि.व. 13	34,654.65	1,884.10	47,621.52	5.44

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े।

तालिका 1.23 दर्शाती है कि वि.व. 13 में वसूली के लिए लंबित बकाया 47,621 करोड़ तक पहुँच गया था जबकि वर्ष के दौरान संग्रहण मात्र 1,884 करोड़ था। मंत्रालय ने सूचित किया कि मामलों की न्यायिक कर वसूली अधिकरणों में देख-रेख, बकाया राजस्व के डाटा बेस के कम्प्यूटरीकरण, बकाया वसूली के लिए समर्पित कर्मचारियों की टीम तैयार करने सहित कई कदम उठाये गये हैं। हालांकि तालिका 1.23 दर्शाती है कि बकाया का विलंबन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और वि.व. 13 के दौरान वसूली मात्र 5 प्रतिशत थी। बोर्ड को अपनी की गई कार्रवाई की प्रभावकारिता का विश्लेषण करना चाहिए।

संग्रहण की लागत

1.36 तालिका 1.24 में कुल संग्रहण के संबंधित आंकड़ों के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर संग्रहण में विगत पांच वर्षों के दौरान किये गये खर्च को हमनें दर्शाया है। इस तथ्य के बावजूद कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में स्वनिर्धारण है और निर्धारिती को विवरणियों द्वारा अदा किये गये शुल्क घोषित करने पड़ते हैं और आवश्यक रूप से इलैक्ट्रानिक विवरणियों की फाइलिंग और भुगतान में इलैक्ट्रानिक साधनों के प्रयोग में वृद्धि के बाद भी संग्रहण की लागत में सुनिश्चित रूप में वृद्धि हो रही है।

तालिका 1.24: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियां और संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद से प्राप्तियां*	सेवा कर से प्राप्तियां*	कुल प्राप्तियां	#संग्रहण की लागत	प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व. 09	1,08,613	60,941	1,69,554	1,650	0.97
वि.व. 10	1,02,991	58,422	1,61,413	2,127	1.32
वि.व. 11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि.व. 12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,262	0.94
वि.व. 13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,446	0.79

स्रोत: * संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे, #स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े

आईसीटी के वृहद् उपयोग और स्वचालन के बावजूद, संग्रहण लागत में लगातार वृद्धि नजर आ रही है। प्राप्तियों, की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करने पर संग्रहण की लागत लगभग 1 प्रतिशत (वि.व. 11 और वि.वि.12) थी। हालांकि, वि.व. 13 के दौरान संग्रहण लागत 0.79 प्रतिशत तक नीचे आ गई थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

विगत पांच वर्षों के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई प्रमुख अनियमितताएं

1.37 विगत पांच वर्षों के दौरान, हमने विभिन्न लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सूचित कि जिन्हें तालिका 1.25 में दर्शाया गया है।

1.25 सीएजी की लेखापरीक्षा में दर्शाई गई प्रमुख अनियमितताएं - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

₹ करोड़

वर्ष	उद्ग्रहित न किया गया उप-कर	मांग नहीं की गई	शुल्क का उद्ग्रहण न करना/ कम उद्ग्रहण	ब्याज और जुर्मानों का उद्ग्रहण न करना	छूट	उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन	सेनवेट क्रेडिट	उत्पाद शुल्क योग्य माल का वर्गीकरण	विशेष महत्व के विषय	विविध	कुल
वि.व. 08	4.25	49.18	292.32	1.47	135.94	39.28	180.62	-	-	-	703.06
वि.व. 09	1.84	-	12.95	12.64	80.26	12.12	-	-	-	22.58	142.39
वि.व. 10	-	-	13.55	6.74	4.12	114.56	120.75	-	-	50.23	309.95
वि.व. 11	-	-	-	8.48	-	22.06	92.39	-	-	5.26	128.19
वि.व. 12	-	-	21.71	9.32	-	-	32.07	-	-	6.22	69.32

राजस्व प्रभाव - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

1.38 विगत पांच वर्षों (मौजूदा वर्ष के प्रतिवेदन सहित) के दौरान, हमने कुल ₹ 894.83 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क वाले 533 लेखापरीक्षा पैराग्राफ की सूचना दी। इनमें से, सरकार ने ₹ 529.35 करोड़ के 443 लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की और ₹ 159.05 करोड़ की वसूली की। तालिका 1.26 में हमने विवरण दर्शाये हैं।

तालिका 1.26: विगत पांच वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई आपत्तियां - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

₹ करोड़

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ और/या की गई सुधारात्मक कार्रवाई						प्रभावित वसूलियां					
			प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल		प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व. 09	75	156.84	41	48.30	6	2.15	47	50.45	24	27.59	3	2.00	27	29.59
वि.व. 10	150	327.77	91	62.07	7	9.58	98	71.65	55	29.12	6	7.50	61	36.62
वि.व. 11	159	158.00	133	117.64	15	34.76	148	152.4	67	46.60	3	0.19	70	46.79
वि.व. 12	87	69.32	85	67.07	6	8.34	91	75.41	48	24.72	1	0.04	49	24.76
वि.व. 13	62	182.90	58	179.44	-	-	58	179.44	36	21.29	-	-	36	21.29
कुल	**533**	**894.83**	**408**	**474.52**	**34**	**54.83**	**442**	**529.35**	**230**	**149.32**	**13**	**9.73**	**243**	**159.02**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाही

1.39 लोक लेखा समिति ने अपने नौंवे प्रतिवेदन (ग्याहरवीं लोक सभा) में संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीनों की अवधि के अंदर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के सभी पैराग्राफ पर हमारे द्वारा पुनरीक्षित उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही नोट (एटीएन) प्रस्तुत करने की इच्छा जताई।

अप्रत्यक्ष कर पर पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित पैराग्राफों पर बकाये कार्यवाही नोट की समीक्षा ने दर्शाया कि वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबंध में उपचारात्मक कार्यवाही नोट (एटीएन) का प्रस्तुतीकरण संतोषजनक था। मंत्रालयों द्वारा पूर्व के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दी गई सभी आपत्तियों के संबंध में एटीएन प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

अध्याय II

नियम और विनियमों की अननुपालना

2.1 हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा रखे गये किये गये अभिलेखों का निरीक्षण किया और शुल्क भुगतान की सटीकता और सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति की जांच की। हमने ₹ 66.76 करोड़ के राजस्व वाले सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति और उपयोग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान के मामले पाये। हमने 54 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालयों को ये आपत्तियां प्रेषित की। मंत्रालय/आयुक्तालयों ने 49 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया (मार्च 2014) और ₹ 63.11 करोड़ राजस्व वाले इन सभी मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ/पूरी की। हमने इन पैराग्राफों का विवरण अनुबंध III में दर्शाया है।

2.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गैर-अदायगी/कम भुगतान

2.2.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गैर-अदायगी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 का नियम 8 दर्शाता है कि एक महीने के दौरान फैक्टरी से निकाले गये माल पर शुल्क आगामी महीने की 5 तारीख तक और मार्च महीने में मार्च की 31 तारीख को अदा किया जाएगा। यदि कोई निर्धारिती निर्धारित तिथि तक शुल्क राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, वह बकाया राशि ब्याज सहित अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 1 जून 2006 की अधिसूचना द्वारा संशोधित नियम 8 का उप-नियम 3(ए) बताता है कि यदि निर्धारिती निर्धारित तिथि से तीस दिनों के बाद तक शुल्क भुगतान में असफल रहता है, तो निर्धारिती बकाया राशि अदा करने की तिथि तक माल निकाले जाने के समय, प्रत्येक खेप के लिए सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किये बिना, उत्पाद शुल्क अदा करेगा और ऐसा करने में विफल रहने पर यह समझा जाएगा कि ऐसे माल की निकासी शुल्क के भुगतान के बिना की गई है और नियमों के अनुसार परिणाम और जुर्माने होंगे।

भुवनेश्वर-। आयुक्तालय में मै. श्री मैटालीक्स लिमि. अंगुल ने जनवरी 2011 से मार्च 2011 के दौरान शुल्क भुगतान में चूक की। उक्त प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती मार्च 2011 से खेप-वार निकासी हेतु सेनवेट क्रेडिट उपयोग किये बिना पीएलए द्वारा शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, यह देखा गया कि निर्धारिती ने बैंक में राशि के वास्तविक जमा से पूर्व पीएलए में क्रेडिट लिया और बाद की निकासियों हेतु खेप-वार शुल्क भुगतान किया जो सही नहीं था। अतः मार्च 2011 से अगस्त 2011 तक की गई ₹ 91.57 लाख शुल्क की निकासी अनियमित थी जिसे ब्याज और जुर्माने सहित वसूल किया जाना चाहिए था।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2013) तो मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि निर्धारिती से ₹ 91.57 लाख वसूल करने की आवश्यकता नही थी क्योंकि यह पहले ही, यद्यपि देर से, भुगतान किया जा चुका है। केवल देरी से भुगतान हेतु ब्याज एवं जुर्माना वसूल किया जाना है। शुल्क, ब्याज और जुर्माने की वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका था।

तथापि मंत्रालय ने जनवरी 2011 से मार्च 2011 के लिए ₹ 56.42 लाख के शुल्क, जिसे अभी भी भुगतान किया जाना है, के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की।

2.2.2 अल्प मूल्यांकन के कारण देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (मूल्यांकन) नियम 2000 के नियम 8 के अनुसार जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नहीं जाता परंतु उसके द्वारा या उसकी तरफ से अन्य वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन में उपयोग किया जाता है, वहां मूल्यांकन ऐसे माल के उत्पादन या निर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11एबी दर्शाती है कि जहां उत्पाद शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया गया है, वहां शुल्क के अतिरिक्त निर्धारिती शुल्क अदा किये जाने वाले महीने के अगले महीने की पहली तिथि से ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कोलकाता ।। आयुक्तालय में मै. जिंदल इंडिया लिमि. ने 2010-11 के दौरान, घुसुरी में अपनी सहायक इकाई को स्टॉक स्थानांतरण आधार पर एमएस/इआरडब्ल्यू ट्यूब्स और स्टील पाईप (काला) की निकासी, सनदी

लेखाकार द्वारा निर्धारित और सत्यापित किये गए मूल्य की अपेक्षा कम निर्धारण योग्य मूल्य के शुल्क भुगतान पर की। इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज के अतिरिक्त ₹ 27.65 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2011), तो आयुक्तालय ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा (अक्तूबर 2011) कि निर्धारिती ने सनदी लेखाकार द्वारा प्रत्येक महीने के लिए महीने की 11 तारीख से आगामी महीने की 10 तारीख तक की अवधि हेतु निकासी किये गये माल हेतु बनाये और सत्यापित सीएएस-4 प्रमाण पत्र के आधार पर शुल्क अदायगी की पद्धति को अपनाया था। इसके अतिरिक्त आयुक्तालय ने कहा कि इस पद्धति को अपनाने के कारण निर्धारिती ने कई बार देय शुल्क से अधिक शुल्क भी अदा किया।

आयुक्तालय का दावा तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी अवधि में सहायक इकाई को निकास किये गये माल पर शुल्क उक्त अवधि हेतु सीएएस-4 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अदा किया जाना चाहिए। चूंकि निर्धारिती ने उक्त अवधि हेतु सीएएस-4 के अनुसार लागू मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर शुल्क अदा किया, पूर्व के अवसरों में निर्धारिती द्वारा अधिक शुल्क भुगतान, जिसके लिए प्रतिदाय प्रावधान लागू थे, के तथ्य के बावजूद सीएएस-4 के आधार पर लागू शुल्क का अंतर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

आयुक्तालय ने ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 87.68 लाख की राशि हेतु एससीएन जारी किये जाने के बारे में सूचित किया (सितम्बर 2012 और अक्तूबर 2012)।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2013) कि स्वयं उपभोग किये गये माल के लिए उत्पादन की लागत निर्धारिती द्वारा पिछले महीने में व्यय की गई वास्तविक लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है और कोई अंतर या कम भुगतान अनुमन्य क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।

मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि किसी विशेष अवधि के लिए एक सहायक इकाई को निकास किये गये माल पर शुल्क केवल उक्त अवधि के लिए सीएएस-4 प्रमाण पत्र के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अदा किया जाना चाहिए। इसलिए निर्धारिती शुल्क का अंतर अदा करने के लिए उत्तरदायी था।

2.2.3 संबंधित इकाई को भेजे गये माल का कम निर्धारण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 9 के उपबंध के साथ पठित नियम 8 निर्धारित करता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नही जाता अपितु निर्धारिती द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसे माल का निर्धारण योग्य मूल्य, उस माल के विनिर्माण या उत्पादन की लागत का 110 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्ट किया (13 फरवरी 2003) कि प्रयुक्त माल का मूल्य केवल लागत लेखाँकन मानक (सीएएस-4) के अनुसार की निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धारा 11 ए बी, शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के भुगतान को आवश्यक करती है।

पुणे III आयुक्तालय के अन्तर्गत मै. हिंदुस्तान पॉलीएमाइड्स एण्ड फाइबर्स लि. ने अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान आंतरिक खपत के लिए कोरेगाँव में स्थित अपनी अन्य इकाई को कम्प्रैस्ड हाइड्रोजन गैस की निकासी की। तथापि निर्धारिती ने उपरोक्त दर्शाये गए प्रावधानों के अनुसार ऐसी निकासी के लिए निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात करने के लिए सीएएस-4 तैयार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप आंतरिक खपत के लिए निकासित माल का कम मूल्यांकन हुआ तथा ₹ 10.63 लाख के शुल्क का कम भुगतान हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2011), तो निर्धारिती ने जुलाई 2011 में ₹ 10.63 लाख के शुल्क का भुगतान कर दिया। मंत्रालय ने ब्याज सहित राशि की वसूली की पुष्टि की (फरवरी 2014); तथापि, उसने आपत्ति स्वीकार नही की एवं बताया कि स्व-मूल्यांकन के युग में अनियमितता का पता केवल आन्तरिक लेखापरीक्षा के समय पर ही लगाया जा सकता था। उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रासंगिक नही था एवं मंत्रालय से यह स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया (मार्च 2014) कि क्या उसका विचार यह था कि सीएएस-4 प्रमाणपत्र तैयार ना करके निर्धारिती ने सही प्रक्रिया का पालन किया।

2.3 सेनवेट क्रेडिट

2.3.1 अयोग्य इनपुट/इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 के नियम 2(के) के अनुसार, इनपुट का अर्थ है अंतिम उत्पाद के निर्माता द्वारा फैक्टरी में प्रयुक्त सारा माल, उस माल को छोड़कर जिसका अंतिम उत्पाद के निर्माण के साथ कोई संबंध नहीं होता।

इंदौर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अंतर्गत मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लि. ने 2011-12 के दौरान एंगल, नट, बोल्ट, चैनल, इलैक्ट्रोड, प्लेट, शीट आदि पर अदा किये गये शुल्क का ₹ 34.64 लाख का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि इन मदों को इनपुट्स नहीं माना जा सकता, इन मदों पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना अनुचित था और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2012), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (नवम्बर 2013) कि गलत रूप से प्राप्त किये गये सेनवेट क्रेडिट के लिए ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 1.16 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था।

2.3.2 छूट प्राप्त माल पर अदा किये गये शुल्क के लिए सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

4 जनवरी 1991 को सीबीईसी ने स्पष्ट किया कि निर्माता द्वारा अपनी इच्छा से सेनवेट क्रेडिट प्राप्ति छूट प्राप्त/शून्य दर वाले अंतिम उत्पाद पर शुल्क अदा करने की स्थिति में, भुगतान शुल्क की प्रकृति के नहीं होंगे और जमा के रूप में माने जाएगें और इसलिए ऐसे इनपुट पर अदा किये गये शुल्क का क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना सं. 6/2002-सीई दिनांक 1 मार्च 2002, अधिसूचना सं. 4/2006-सीई दिनांक 1 मार्च 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अनुसार लौह अयस्क पर शुल्क की दर शून्य है।

भुवनेश्वर-।। आयुक्तालय में मै. टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड जो स्पंज लौह के निर्माण से जुड़ी थी, ने अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान खरीदे गये सान्द्र लौह अयस्क पर ₹ 2.11 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि लौह अयस्क सांद्र शुल्क से छूट प्राप्त था, निर्धारिती द्वारा सान्द्र पर सेनवेट

क्रेडिट प्राप्त करना अनियमित था। अनियमित रूप से प्राप्त ₹ 2.11 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट ब्याज और जुर्माने सहित वापस किया जाना था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2009), तो आयुक्तालय ने सूचित किया (मार्च 2012) कि जून 2009 से अप्रैल 2010 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 3.31 करोड़ के लिए जून 2010 एससीएन में जारी किया गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और कहा (अगस्त 2013) कि {2003 (154) ईएलटी 65 (ट्राय-कोलकाता)} में दर्शाए गए मै. सेल के मामले में सेसटेट के निर्णय, कि लौह अयस्क चूरा और साईज्ड लौह अयस्क पर शुल्क देय नहीं है, को बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था और अपील सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित थी।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त राजस्व अपील को निरस्त करते हुए और यह मानते हुए कि लौह अयस्क सान्द्र पर कोई शुल्क देय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा {2012 (283) ईएलटी ए 112 (एससी)} में पहले ही निर्णय दिया जा चुका था। इसलिए, उपर बताए गए बोर्ड के परिपत्र के अनुसार लौह अयस्क सान्द्र पर दिए गए शुल्क पर क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था।

अध्याय III

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

3.1 आंतरिक नियंत्रण किसी सत्व के प्रबंधन और कार्मिकों द्वारा की जाने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है। यह जोखिम का समाधान करती है और सत्व के लक्ष्य के लिए तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती है कि सत्व निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त कर रहा है:

क) व्यवस्थित, नैतिक, मितव्ययी, दक्ष और कुशल परिचालन का निष्पादन;

ख) जवाबदेही का दायित्व निभाना;

ग) लागू कानून और विनियमों का अनुपालन;

घ) हानि, दुरूपयोग और क्षति के प्रति संसाधनों की सुरक्षा।

3.2 हमने पाया कि विभागीय अधिकारियों ने ₹ 116.03 करोड़ के राजस्व की अन्तर्ग्रस्तता वाले कुछ मामलों में देय प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया। हमने ये आपत्तियां 8 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को बताई। मंत्रालय ने 6 ड्राफ्ट ऑडिट पैराग्राफों की लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार (मार्च 2014) की थी और ₹ 2.57 करोड़ के राजस्व सहित 3 मामलों में उपचारी कार्यवाही प्रारंभ की/पूरी की। इन पैराग्राफों के ब्यौरे परिशिष्ट IV में उपलब्ध है। 1 मामले में मंत्रालय का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

3.3 विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में भुगतान योग्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का और 2001 में सेवा कर के लिए स्वनिर्धारण शुरू किया। स्वनिर्धारण शुरू करके विभाग ने विवरणियों/निर्धारणों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन-विरोध के माध्यम से एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र भी उपलब्ध कराया। निर्धारणों की संवीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका, जैसा कि अप्रत्यक्ष कर पर टास्क फोर्स 2002 के प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, कहती है कि ''यह मत है कि निर्धारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों का मुख्य कार्य होना चाहिए। करदाता द्वारा स्वनिर्धारण केवल एक सुविधा है और शुल्क भुगतान की शुद्धता सुनिश्चित

करने में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के सांविधिक उत्तरदायित्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि लेखापरीक्षा और अपवंचना-विरोध की अपनी-अपनी भूमिका है परन्तु निर्धारण या निर्धारण की पुष्टि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों की प्रमुख जिम्मेदारी बनी रहेगी।''

लेखापरीक्षा ने पाया कि विवरणियों की संवीक्षा एक उपेक्षित कार्य था। लेखापरीक्षा ने नीचे दर्शाए गए मामलों में अनियमितताओं का पता लगाया जिनका पता लगाया जा सकता था यदि विभाग ने निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संवीक्षा की होती।

3.3.1 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता लगाने में विफलता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी 2008 की संवीक्षा मैनुअल के अनुसार विभाग सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के संबंध में इनपुट, पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की सही प्राप्ति को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 9(2) के अनुसार कोई सेनवेट क्रेडिट न लिया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 या सेवा कर नियमावली, 1994 जैसा मामला हों, के अन्तर्गत निर्धारित सभी ब्यौरों को उक्त दस्तावेज में निर्दिष्ट न हो।

हल्दिया कमिश्नरी में हावड़ा पश्चिम-II डिवीजन के रेंज-IV के अधिकारी ने मै. वृदा इंजीनियर्स प्रा. लि. के कुछ उच्च मूल्य इनपुट सेवा बीजकों की संवीक्षा की जिन पर निर्धारिती द्वारा सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने भी उन बीजकों की संवीक्षा की और पाया कि दो बीजक जो निर्धारिती के किसी पंजीकृत परिसर को संबोधित नहीं थे, पर जून 2010 माह के दौरान ₹ 18.85 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.85 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति की गई। विस्तृत संवीक्षा के बावजूद विभाग अनियमित रूप से प्राप्त सेनवेट क्रेडिट का पता लगाने में विफल रहा।

जब हमने इसे इंगित किया (मई 2012), कमिश्नरी ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा सूचित किया (दिसम्बर 2013) कि एससीएन जारी किया जाने वाला था। मंत्रालय ने गलत रूप से प्राप्त किए गए सेनवेट क्रेडिट की वसूली

करने के लिए एससीएन जारी करने की पुष्टि की (जनवरी 2014)। तथापि, इसने यह कहते हुए विभागीय चूक को स्वीकार नही किया कि सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का आवधिक विवरणियों की संवीक्षा के दौरान पता नही लगाया जा सका क्योंकि निर्धारिती ने विवरणियों के साथ इन दस्तावेजों को विभाग को प्रस्तुत नहीं किया था।

मंत्रालय का मत स्वीकार्य नही है क्योंकि रेंज अधिकारी ने आपत्तिकृत बीजकों को संवीक्षा के लिए विशेष रूप से मंगवाया था (अगस्त 2011) और निर्धारिती ने विभाग के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया था (सितम्बर 2011)।

3.3.2 सेनवेट क्रेडिट के गलत उपयोग द्वारा शुल्क का अनियमित भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद विवरणियों की संवीक्षा मैनुअल के पैरा 2.1.1 क (19) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करने वाले विभागीय अधिकारी को उन मामलों पर कार्रवाई करनी है जहां निर्धारिती ने देय तारीख से 30 दिनों के बाद शुल्क नही दिया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 का नियम 8(3क) बताता है कि यदि एक निर्धारिती देय तारिख से तीस दिनों के बाद भी शुल्क का भुगतान नही करता, तब वह ब्याज सहित बकाया राशि अदा करने की तारीख तक सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना, निकासी के समय प्रत्येक खेप के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा। किसी विफलता की स्थिति में यह माना जाएगा कि ऐसे माल की निकासी शुल्क के भुगतान के बिना की गई है और नियमावली में बताए गए परिणाम और शास्तियां लागू होगी।

पटना कमिश्नरी में मै. कार्बन रिसोर्सेज प्रा. लि. यूनिट - II, बेगुसराय, ने मार्च 2011, अक्टूबर 2011 और मार्च 2012 के माह के लिए शुल्क का भुगतान, 30 दिनों से अधिक विलम्ब से किया था। निर्धारिती लिए प्रत्येक निकासी की गई खेप के लिए नकद में शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। तथापि, निर्धारिती ने 30 दिनों से अधिक चूक की अवधि के दौरान 18 खेपों पर शुल्क के भुगतान के लिए ₹ 12.14 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया। सेनवेट क्रेडिट से ऐसे भुगतान अनियमित थे और ब्याज तथा शास्ति सहित वसूली योग्य थे।

विभाग, सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किए बिना खेपवार शुल्क भुगतान के लिए निर्धारिती को निर्देश देने हेतु कोई कार्रवाई करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग किया गया।

हमने सितम्बर 2012 में इसके बारे में बताया, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2014) और बताया कि निर्धारिती ने ₹ 12.14 लाख की राशि ₹ 0.49 लाख के ब्याज के साथ भुगतान कर दी थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि ऐसी चूकों के मामलों में नियम 8(4) के प्रावधानों को आवाह्न करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिये थे।

3.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, विभाग में मुख्य अनुपालन सत्यापन तंत्रों में से एक है, जो निर्धारित नियम और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर सुनिश्चित करने हेतु, निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन द्वारा जोखिम मापदण्डों के आधार पर, निर्धारिती इकाईयों के चयन सहित, निर्धारिती के दस्तावेजों की संवीक्षा द्वारा निर्धारिती परिसर में लेखापरीक्षा करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर नियमों के अंतर्गत निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में रखे अभिलेख तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त है। महानिदेशक लेखापरीक्षा को अहमदाबाद, मुम्बई, दिल्ली, बैंगलुरू, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में अपनी सात इकाईयों सहित आयुक्तालय (जो वास्तव में लेखापरीक्षा प्रक्रिया चलाते है) और सभी लेखापरीक्षा मामलों पर बोर्ड के साथ केन्द्रीकृत संपर्क प्रदान करना होता है। एक तरफ यह नीति निर्माण में बोर्ड की सहायता करता है और सलाह देता है और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर लेखापरीक्षा की योजना, सहयोग, निरीक्षण और आयोजन में मार्गदर्शन करता है और व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सभी आयुक्तालयों में एक लेखापरीक्षा सैल होता है जो सहायक/उप आयुक्त और लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित होता है और अपर/संयुक्त आयुक्त इसकी अध्यक्षता करते हैं तथा यह सैल लेखापरीक्षा योजना को तैयार करता है, समन्वय स्थापित करता है और उस पर निगरानी रखता है। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों जिसमें अधीक्षक और निरीक्षक शामिल है, द्वारा यह लेखापरीक्षा की जाती है।

हमने विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा सैल द्वारा निर्धारितियों की चयन प्रक्रिया और आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पहले से लेखापरीक्षित कुछ निर्धारितियों के अभिलेखों के सत्यापन से आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा की गई वास्तविक लेखापरीक्षा की दक्षता की जांच करने का प्रयास किया। कुछ मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए है।

3.4.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल के कम निर्धारण का पता न लगाना

केन्दीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुअल 2008 के अनुबंध (ई) के अनुसार लेखापरीक्षकों के लिए केन्दीय उत्पाद शुल्क के अल्प मूल्यांकन को खोजने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कोई संबंधित पार्टी लेन-देन, ग्रुप कम्पनियों/संबंधित पार्टियों को उत्पाद शुल्क योग्य उत्पादों के हस्तांतरण के रूप में किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल का कीमत निर्धारण) नियमावली, 2000 के नियम 9 के उपबंध के साथ पठित नियम 8 बताता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल निर्धारिती द्वारा बेचा नही जाता बल्कि दूसरी वस्तुओं के विनिर्माण में इसके द्वारा या निर्धारिती के संबंधित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, ऐसे माल का निर्धारण मूल्य माल की उत्पादन या विनिर्माण की लागत का एक सौ दस प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया था (13 फरवरी 2003) कि आंतरिक खपत किए गए माल का मूल्य केवल लागत लेखांकन मानदण्ड (सीएएस-4) पद्धति के अनुसार ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

नासिक आयुक्तालय के अंतर्गत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 85 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य मोटर वाहन कलपुर्जों के विनिर्माण में लगे, निर्धारिती रिलाएबल ऑटोटैक प्रा. लि. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 2008-2009 से 2010-11 के दौरान चेकन और पुणे में अपनी दूसरी यूनिटों को तैयार माल भेजा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ऐसी निकासी के लिए अपेक्षित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सीएएस-4) तैयार नही की थी।

जब हमने उसे इंगित किया (मार्च 2012), तो विभाग ने सूचना दी (जून 2012) कि निर्धारिती ने वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए उत्पादन लागत का प्रमाण पत्र जमा कर दिया था। ₹ 15.34 लाख का परिकलित अन्तर शुल्क ₹ 4.83 लाख के ब्याज सहित अदा कर दिया गया था।

निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा मार्च 2011 तक की अवधि को कवर करते हुए मार्च 2011 में की गई थी; तथापि, अनियमितता का इसके द्वारा पता नहीं लगाया गया।

मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2014) और ₹ 15.34 लाख अंतर शुल्क की ₹ 4.83 लाख के ब्याज सहित अदायगी को सूचित किया। मंत्रालय ने आगे बताया कि निर्धारिती द्वारा उसकी अन्य इकाईयों को उत्पाद शुल्क योग्य माल की निकासी के तथ्य को प्रकट नहीं किया गया, जिस कारण मामले को आगे जांच हेतु लेखापरीक्षा योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

3.4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न लगाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुअल, 2008 के अनुबंध ई के अनुसार लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का सत्यापन, बट्टे खाते में डाली गई मदों पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट को लौटाने की जांच के लिए किया जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षकों को सेनवेट क्रेडिट की राशि, जिसे लौटाना आवश्यक हो, को परिमाणित करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5बी) के अनुसार यदि उपयोग किये जाने से पहले एक इनपुट या पूंजीगत माल के मूल्य, जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, को पूर्ण रूप से बट्टे खाते मे डाला गया है या पूर्णरूप से बट्टे खाते में डालने हेतु कोई प्रावधान बही खाते में किया गया है तब विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट या पूंजीगत माल के संबंध में लिये गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा। दिनांक 22 फरवरी 1995 और 16 जुलाई 2002 के परिपत्रों के माध्यम से बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इनपुट/पूंजीगत माल जिन्हे उपयोग हेतु अप्रचलित या

अनुप्रयुक्त मानकर बट्टे खाते में डाल दिया गया हो, पर प्राप्त मोडवेट/सेनवेट क्रेडिट को वापस किया जाना अपेक्षित है।

मुम्बई II कमिश्नरी में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय 27 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस के विनिर्माण में लगे, मै. महानगर गैस लि. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपने कारखाने में प्राप्त इनपुटों पर दिए गए शुल्क के सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त किया था। 2009-10 और 2010-11 की अवधि के लिए निर्धारिती के परीक्षण शेष से पता चला कि निर्धारिती ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए ₹ 1.30 करोड़ मूल्य की अप्रचलित परिसम्पतियों और स्टॉक को बट्टे खाते में डाल दिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे इनपुटों पर ₹ 19.30 लाख के शुल्क के समान क्रेडिट को वापस नही लौटाया गया था जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2011), तो विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और सूचना दी (अक्टूबर 2012) कि ₹ 1.30 करोड़ में से ₹ 21.00 लाख उस परिसम्पत्ति से संबंधित थे जिस पर कोई सेनवेट क्रेडिट प्राप्त नहीं किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 1.01 लाख के ब्याज सहित ₹ 12.44 लाख का क्रेडिट लौटा दिया।

2009-10 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2011 में की गई थी, लेकिन यह अनियमितता का पता लगाने में विफल रही।

मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (फरवरी 2014) और सूचित किया की निर्धारिती को ₹ 21.23 लाख का एससीएन जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान कुछ आपत्तियों का छूट जाना मात्र संयोग था।

3.5 अन्य मामलें

3.5.1 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग

अधिसूचना सं. 46/2001-सी.ई. (एन.टी.) दिनांक 26 जून 2001 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 20, निर्यात के लिए उत्पादन कारखाने से किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल को, शुल्क के भुगतान के बिना वेयरहाउस में भेजने की सुविधा प्रदान करता है। समय-समय पर संशोधित परिपत्र सं. 581/18/2001-सीएक्स, दिनांक 29 जून 2001 के माध्यम से सीबीइसी ने स्पष्ट रूप से बल दिया कि निर्यात के लिए बनाए गए माल को इस शर्त के साथ क्षेत्राधिकारी सहायक/उपयुक्त की अनुमति से वेयरहाउस से घरेलू खपत हेतु भेजा जा सकता है कि निकासी, नियम 8 के अन्तर्गत तैयार किए गए बीजकों पर शुल्क, ब्याज और अन्य प्रभारों के नगद भुगतान द्वारा की जाएगी।

हल्दिया कमिश्नरी में मै. हल्दिया पेट्रोकैमिकल्स लि. ने मोटर स्पिरिट, बेन्जीन, पाई गैस आदि को अपने वेयरहाऊस में स्थानांतरित किया। नवम्बर 2007 के दौरान इस माल को नकद भुगतान के बजाय सेनवेट खाते के माध्यम से यथोचित शुल्क के भुगतान पर वेयरहाऊस से घरेलू खपत के लिए विपथन किया गया था जिससे बोर्ड के उपरोक्त स्पष्टीकरण का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, निर्धारिती ने माल के ऐसे विपथन के लिए सक्षम क्षेत्र प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त नही की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 45.76 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग हुआ जोकि लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2008) तब विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2012) और सूचना दी कि अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2009 की अवधि के लिए मई 2010 में जारी किए गए ₹ 56.41 करोड़ के कारण बताओ नोटिस का मार्च 2012 में समान शास्ति लगाने सहित पुष्टिकरण किया गया था। सक्षम प्राधिकरी से पूर्व अनुमोदन लिए बिना

निर्यात के लिए बनाए गए माल के घरेलू खपत हेतु विपथन पर विभागीय प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड के निर्देशों के अननुपालन को मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

(सी नेडुंचेलियन)
प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

नई दिल्ली
दिनांक: 8 मई 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 8 मई 2014

परिशिष्ट

परिशिष्ट ।

राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट

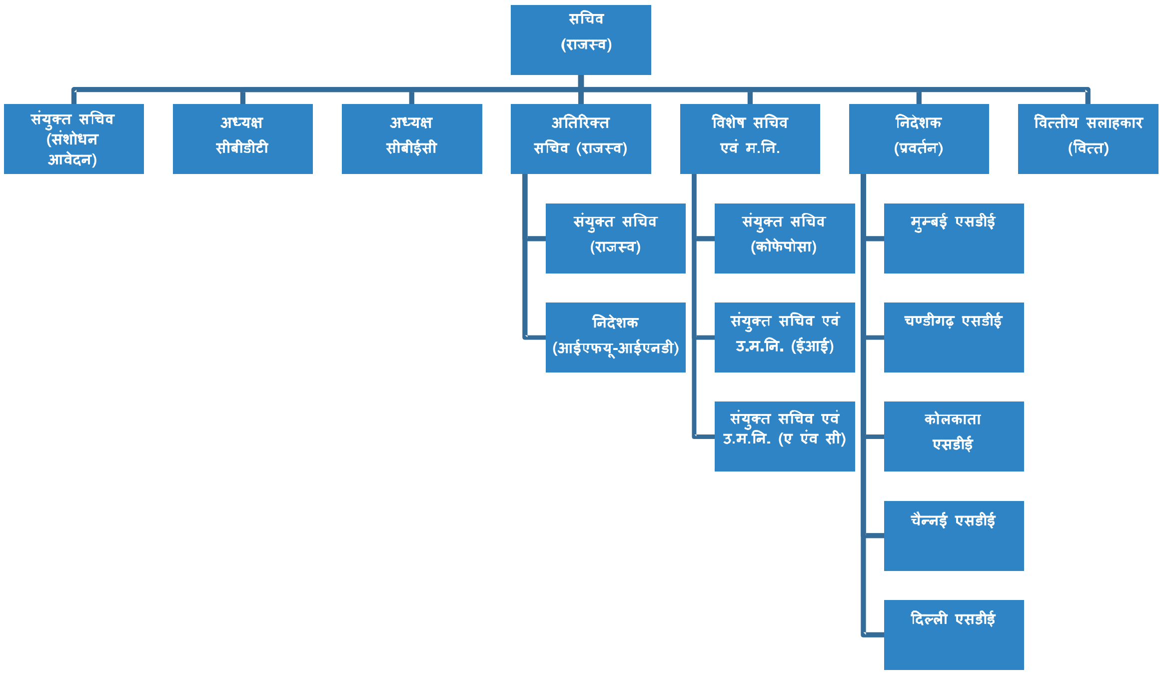

परिशिष्ट II

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट

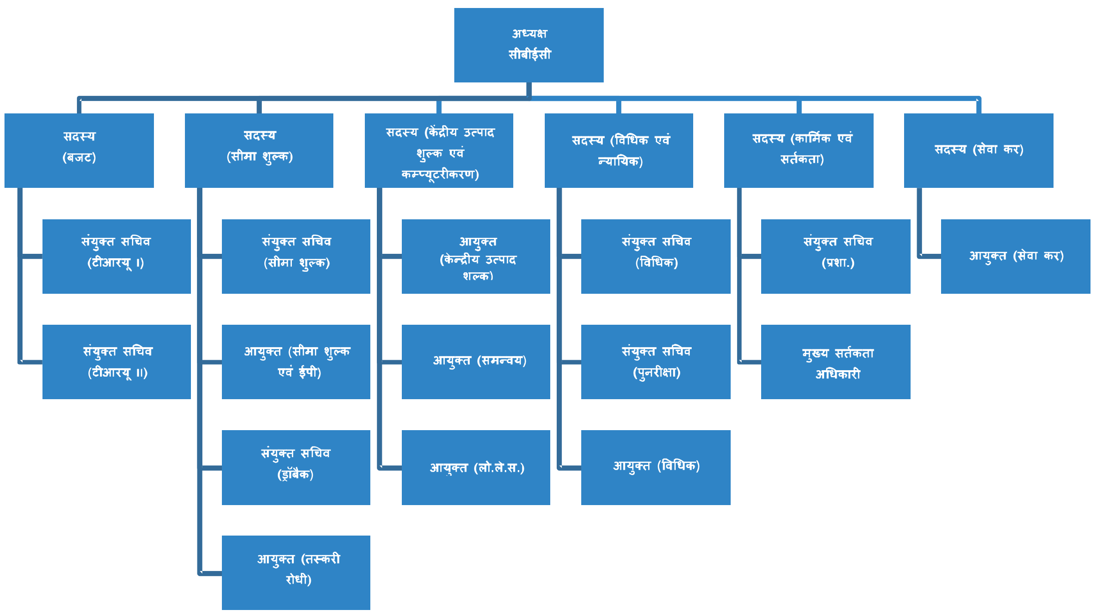

परिशिष्ट III

(संदर्भ: पैरा 2.1)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
1.	3 ए	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम भुगतान	567.00	567.00	–	हैदराबाद-IV
2.	7 ए	अपात्र इनपुट सेवा को मानने के कारण ₹ 5.71 लाख के सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	45.42	45.42	–	रायपुर
3.	8 ए	अपात्र इनपुट सेवा को मानने के कारण ₹ 30.04 लाख के सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	28.90	28.90	–	रायपुर
4.	9 ए	उत्पाद शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त माल हेतु पृथक खातो का अनुरक्षण न होना	87.03	87.03	14.76	मेरठ-II
5.	10 ए	अन्तरीय शुल्क के भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का अनुचित उपयोग	35.99	35.99	0.79	कोचीन
6.	11 ए	जीटीए सेवाओं पर इनपुट सेवा क्रेडिट को समय से पूर्व प्राप्त तथा उपयोग करना	78.65	78.65	1.35	भुवनेश्वर-I
7.	14 ए	नष्ट किए गए कच्चे माल पर सेनवेट क्रेडिट का वापस न लौटाना	18.13	18.13	–	रायगढ़
8.	15 ए	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	104.54	104.54	–	मुंबई एलटीयू
9.	16 ए	इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा सेवा कर क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	1498.00	1498.00	–	मुंबई एलटीयू
10.	17 ए	उत्पाद शुल्क योग्य माल का कम मूल्यांकन	41.06	41.06	–	रायगढ़
11.	1 बी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	21.91	21.91	21.91	लुधियाना

क्र. सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
12.	2 बी	खारिज/अप्रचलित के रूप में घोषित माल के सेनवेट क्रेडिट का न लौटाना	47.42	47.42	23.97	दिल्ली III
13.	3 बी	छूट प्राप्त माल के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न होना	22.47	22.47	22.47	चेन्नई III
14.	4 बी	अचल इन्वेंटरी बट्टे खाते में डालने के प्रावधानों पर सेनवेट क्रेडिट का न लौटाना	19.37	19.37	19.37	चेन्नई III
15.	5 बी	अयोग्य पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति	50.51	50.51	–	गुंटूर
16.	6 बी	अयोग्य पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति	39.98	39.98	–	गुंटूर
17.	7 बी	अयोग्य पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति	22.35	22.35	–	विशाखापत्तनम I
18.	8 बी	अन्तरीय शुल्क पर ब्याज का भुगतान न होना	18.73	18.73	18.73	हैदराबाद I
19.	9 बी	अन्तरीय शुल्क का भुगतान न होना	31.94	31.94	–	तिरूपती
20.	10 बी	ऐसे ही निकाले गए इनपुट पर शुल्क का कम भुगतान	61.72	61.72	51.19	राजकोट
21.	11 बी	संग्रहित शुल्क को कम जमा करना	10.34	10.34	10.34	बेंगलुरू एलटीयू
22.	12 बी	सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	423.80	423.80	–	बेंगलुरू II
23.	13 बी	सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	12.40	12.40	12.40	बेंगलुरू I
24.	14 बी	सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	10.14	10.14		बेंगलुरू III
25.	15 बी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम उद्ग्रहण	947.64	947.64	–	कोलकाता II
26.	16 बी	इनपुट सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	10.23	10.23	10.23	कोचीन
27.	17 बी	इनपुट सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	12.80	12.80	12.80	चेन्नई III
28.	18 बी	मंद गति से प्रयुक्त इन्वेंटरी पर	11.18	11.18	11.18	मदुरै, चेन्नई II

क्र. सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
		सेनवेट क्रेडिट न लौटाना				
29.	19 बी	सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	19.02	19.02	19.02	चैन्नई एलटीयू
30.	20 बी	माल के कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम भुगतान	13.31	13.31	13.31	जयपुर II
31.	21 बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	36.08	36.08	–	जयपुर I
32.	22 बी	छूट प्राप्त माल में प्रयुक्त इनपुट सेवा के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	48.41	48.41	48.41	नागपुर
33.	23 बी	कम मूल्यांकन के कारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	109.78	109.78	90.85	हल्दिया
34.	24 बी	खारिज करने के लिए किये गए प्रावधानों पर ₹ 1.61 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का न लौटाना	312.00	312.00	312.00	जयपुर I
35.	25 बी	ब्याज का कम भुगतान	32.45	32.45	32.45	चैन्नई III
36.	26 बी	छूट प्राप्त माल की स्वीकृति पर शुल्क का भुगतान न होना	26.40	26.40	26.40	जमशेदपुर
37.	27 बी	माल के कम मूल्यांकन के कारण ₹ 6.83 लाख के उत्पाद शुल्क का कम भुगतान	18.15	18.15	18.15	दिल्ली I
38.	28 बी	छूट प्राप्त माल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर ₹ 16.60 लाख के सेनवेट क्रेडिट की कम वापसी	16.60	16.60	16.60	वापी
39.	29 बी	₹ 21.12 लाख के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	22.45	22.45	22.45	वड़ोदरा II
40.	30 बी	प्रदत्त अन्तर शुल्क पर ब्याज का अनुग्रहण	21.63	21.63	21.63	हैदराबाद III
41.	31 बी	छूट दी गई मात्रा से अधिक निकाले गए माल पर शुल्क का भुगतान न करना	13.33	13.33	–	तिरूअनंतपुरम
42.	32 बी	सेनवेट के दोहरे क्रेडिट की प्राप्ति	28.40	28.40	28.40	कोचीन

क्र. सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
43.	33 बी	अलग खातों का अनुरक्षण न करना	263.49	263.49	263.49	हल्दिया
44.	35 बी	विभाग द्वारा ब्याज की मांग में विलम्ब	33.75	33.75	–	कोलकाता III
45.	37 बी	बट्टे खाते में डालने हेतु घोषित स्टोर और स्पेयर के सेनवेट क्रेडिट को न लौटाना	14.41	14.41	14.41	दिल्ली IV
46.	39 बी	उत्पाद शुल्क योग्य माल का कम निर्धारण	32.87	32.87	32.87	पुणे I
47.	40 बी	उपयोग किये जाने से पहले इनपुट को बट्टे खाते में डालने के प्रावधान पर ₹ 12.50 लाख के सेनवेट क्रेडिट को न लौटाना	25.65	25.65	–	बैंगलुरू II
48.	41 बी	कम मूल्यांकन के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	24.10	24.10	24.10	बोलपुर
49.	42 बी	उत्पाद शुल्क योग्य माल की लागत का गलत निर्धारण	11.02	11.02	11.02	थाणे-I
50.	–	लधु राशि मूल्य आपत्तियां जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और उपचारात्मक कार्रवाई की गई लेकिन ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में रूपांतरित नही किया गया	894.57	894.57	830.17	
		जोड़	**6297.52**	**6297.52**	**2057.22**	

परिशिष्ट IV
(संदर्भ: पैरा 3.2)

(₹ लाख)

क्र. सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
1	2 डी	विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ करने में विलम्ब	104.46	104.46	-	गुन्टूर
2	4 डी	शुल्क के कम भुगतान का विवरणियों की संवीक्षा न करने के कारण पता नही लगाया जाना	21.95	21.95	21.95	हल्दिया
3	5 डी	उत्पाद के गलत वर्गीकरण का पता लगाने मे विभाग की विफलता के कारण शुल्क नही लगाया जाना	130.52	130.52	-	कोल्हापुर
		जोड़	**256.93**	**256.93**	**21.95**	

शब्दावली

एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन
एआर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एटीएन	कार्यवाही नोट
बोर्ड	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)
बोर्ड्स	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीएएस	लागत लेखांकन मानक
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सेनवेट	केंद्रीय मूल्य संवर्धित कर
सेसटैट	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण
सेटा	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985
कमिश्नरेट	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर/आयुक्त का कार्यालय
सीएक्स/सीई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
डीजीसीईआई	महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अंवेषण)
डिवीज़न/रेंज	आयुक्तालय के अधीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर डिवीजन/रेंज कार्यालय
डीओआर	राजस्व विभाग
ईए 2000	उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमावली 2000
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर राजस्व
आईसीटी	सूचना एंव संचार प्रौद्योगिकी
एलटीयू	बड़ी करदाता इकाई
मंत्रालय/विभाग	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
मोडवेट	संशोधित मूल्य संवर्धित कर
अधिसूचना/परिपत्र	सीबीईसी द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएलए	व्यक्तिगत बही खाता
पीओएल	पेट्रोलियम, ऑयल एण्ड लुब्रिकेंट्स
आरएफडी	रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
टीई	कर व्यय